[2022] 5 एस. सी. आर 760

मणिबेन मगनभाई भरिया

वी.

जिला विकास अधिकारी दाहोद और ओ. आर. एस.

(2022 की सिविल अपील संख्या 3153)

25 अप्रैल, 2022

[अजय रस्तोगी और अभय एस. ओका, जे. जे.]

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972-एस. एस. 1 (3) , 1 (3ए) और 2-ग्रेच्युटी-आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और

एकीकृत बाल विकास योजना (आई. सी. डी. एस.) के तहत स्थापित आंगनवाड़ी केंद्रों में काम करने के लिए नियुक्त आंगनवाड़ी सहायक (ए. डब्ल्यू. एच.) 1972 के अधिनियम के तहत उपदान के हकदार हैं-आयोजित (अभय एस. ओका, जे. के अनुसार): उप-धाराएँ (3) और (3ए)। 1 1972 का अधिनियम, इसके प्रावधानों की प्रयोज्यता से संबंधित है-धाराओं का खंड (बी)। 1 (3) किसी राज्य में दुकानों और प्रतिष्ठानों के संबंध में तत्काल लागू किसी भी कानून के अर्थ के भीतर प्रत्येक दुकान या प्रतिष्ठान पर लागू होता है।

आंगनवाड़ी केंद्र खंड (ई) के अर्थ के भीतर स्थापित किए जाते हैं। 2 संविदा श्रम अधिनियम-आंगनवाड़ी केंद्र सरकार की एक विस्तारित शाखा बन गए हैं और अब एक सहायक के रूप में काम करते हैं।

प्रतिष्ठान या सरकार की एक शाखा-वे प्रतिष्ठान हैं।

एस की उप-धारा (3) के खंड (बी) द्वारा विचार किया गया। 1 1972 के अधिनियम-ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. एस. और ए. डब्ल्यू. एच. एस. को पारिश्रमिक का भुगतान राज्य सरकार द्वारा ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. एस. को किया जाता है और ए. डब्ल्यू. एच. वेतन की परिभाषा के अंतर्गत आता है।

ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. एस. को राज्य सरकार द्वारा उन प्रतिष्ठानों में मजदूरी के लिए नियोजित किया जाता है जिनके लिए 1972 का अधिनियम है। ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. 1972 के अधिनियम के प्रावधानों के अर्थ के भीतर कर्मचारी हैं जो ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. पर लागू होते हैं।

आंगनवाड़ी केंद्रों में काम करना-आयोजित (अजय रस्तोगी, जे. के अनुसार)

(अनुपूरक)-आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों को दिया जाने वाला मानदेय मूल रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाने वाली/प्रदान की जाने वाली राशि है जो विशेष रूप से एक पेशेवर या सेवा प्रदान करने के लिए एक सम्मानित व्यक्ति है-यह एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है-हालाँकि, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों को 'मानदेय' शब्द को पेश करने में उत्तरदाताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले नामकरण के साथ जो भुगतान किया जा रहा है, वह वास्तव में महीने के अंत में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए भुगतान किया गया 'वेतन' है-यह पारिश्रमिक का रूप है जो परिभाषित रोजगार की शर्तों के अनुसार कर्तव्य के निर्वहन पर अर्जित किया जा रहा है। 1972 के अधिनियम की धारा 2 (ओं)-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा

760 मणिबेन मगनभाई भारिया बनाम। जिला विकास अधिकारी दाहोद

अधिनियम, 2013-एसएस। 4 , 5 और 6-अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970-सार्वजनिक स्वास्थ्य-आंगनवाड़ी केंद्र।

जन स्वास्थ्य-आंगनवाड़ी केंद्र-कर्तव्य की भूमिका

पोषण के स्तर में सुधार के लिए राज्य-आयोजित (अभय एस. ओका, जे. के अनुसार): संविधान के Art.47 के अलावा, भारत मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और अंतर्राष्ट्रीय घोषणापत्र का हस्ताक्षरकर्ता है।

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर वाचा उक्त सम्मेलन सभी राज्यों को पर्याप्त भोजन के लिए नागरिकों के अधिकार को मान्यता देने की जिम्मेदारी देता है-जैसा कि 2013 के अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में प्रदान किया गया है, इसका एक उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना है-2013 के अधिनियम का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करने में बदलाव लाना था।

दृष्टिकोण को कल्याणकारी दृष्टिकोण से बदल दिया गया था

अधिकार आधारित दृष्टिकोण-आंगनवाड़ी केंद्रों की भूमिका को 2013 के अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में जगह मिली है।

भारत का संविधान-कला। 47 - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

विधानों की व्याख्या-लाभकारी व्याख्या-आयोजित

(अजय रस्तोगी, जे.) के अनुसारः जब सामाजिक सुरक्षा कानूनों की व्याख्या की जा रही होती है, तो इसे हमेशा एक लाभकारी व्याख्या के साथ उदारता से व्याख्या की जानी चाहिए और इसे व्यापक संभव अर्थ दिया जाना चाहिए जो भाषा अनुमति देती है-जब कोई क़ानून किसी विशेष वर्ग के लाभ के लिए होता है और यदि क़ानून में एक शब्द दो में सक्षम होता है।

अर्थात्, जो लाभों को संरक्षित करेगा और जो नहीं करेगा, तो पहले वाले को अपनाया जाना चाहिए।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः

पर अभय एस. ओकेए, जे.

आंगनवाड़ी केंद्रों को वैधानिक रूप से मान्यता दी गई थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013। आंगनवाड़ी केंद्रों को 2013 के अधिनियम की धारा 4 से 6 को लागू करने में बहुत महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। यह कहा जा सकता है कि आंगनवाड़ी केंद्र वैधानिक कार्यों के निर्वहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

गर्भवती महिलाओं को पोषण सहायता प्रदान करने का राज्य का दायित्व

महिलाएँ, स्तनपान कराने वाली माताएँ और 6 महीने से 6 साल के आयु वर्ग के बच्चे। [पैरा 8,9,10 और 12] [773-एफ-जी; 774-ए-बी, सी; 776-डी-ई] [2022] 5 एस. सी. आर.

2. 2013 के अधिनियम और बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों को देखते हुए,

2009 (आर. टी. ई. अधिनियम), आंगनवाड़ी केंद्र भी वैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। इसलिए, ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. एस. और ए. डब्ल्यू. एच. एस. भी उक्त अधिनियमों के तहत वैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। इस प्रकार, 2013 के अधिनियम के अधिनियमन और गुजरात सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को देखते हुए आंगनवाड़ी केंद्र सरकार की एक विस्तारित शाखा बन गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत परिभाषित राज्य के दायित्वों को पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई है। यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि एडब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यूएचएस के पद वैधानिक पद हैं। 2013 के अधिनियम द्वारा लाए गए परिवर्तनों और गुजरात सरकार द्वारा बनाए गए उपरोक्त नियमों को देखते हुए, अमीरबी के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून इस न्यायालय को इस मुद्दे पर निर्णय लेने से आगे नहीं रोकेगा। अमीरबी के मामले में फैसले का कोई असर नहीं होगा।

इन अपीलों में शामिल मुद्दा। [पारस 18 और 19] [780-जी-एच; 781-ए-सी]

कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम। अमीरबी और अन्य,

2007 (11) एससीसी 681: [2006] 10 पूरक। एससीआर 329-आयोजित

अप्रयोज्य।

3. इस तर्क को स्वीकार करना असंभव है कि नौकरी

ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. को सौंपा गया एक अंशकालिक काम है। गुजरात राज्य में, 25 नवंबर, 2019 के सरकारी प्रस्ताव में ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. के संबंध में चयन मानदंड, कर्तव्यों, अनुशासनात्मक कार्रवाई, नियमों आदि के बारे में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। वास्तव में, उक्त प्रस्ताव द्वारा, राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायक (चयन मानदंड,

मानद सेवा, समीक्षा और अनुशासन) नियम। 25 नवंबर 2019 का सरकारी संकल्प, जो

ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. के कर्तव्यों को निर्धारित करता है, यह निर्धारित नहीं करता है कि उनकी नौकरी एक अंशकालिक नौकरी है। इसके तहत निर्दिष्ट कर्तव्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह पूर्णकालिक रोजगार है। [पारस 13 और 20] [781-डी-ई; 777-ए-बी]

4. उप-ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की धारा (3) और (3 ए),

1972 इसके प्रावधानों की प्रयोज्यता से निपटना। धारा 1 (3) का खंड (बी) उस राज्य में दुकानों और प्रतिष्ठानों के संबंध में तत्काल लागू किसी भी कानून के अर्थ के भीतर प्रत्येक दुकान या प्रतिष्ठान पर लागू होता है जिसमें दस या अधिक व्यक्ति मनीबेन मगनभाई भारत बनाम।

जिला विकास अधिकारी दाहोद

पूर्ववर्ती बारह महीनों के किसी भी दिन कार्यरत हैं या कार्यरत थे। सवाल यह है कि क्या ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 1 (3) का खंड (बी) लागू होगा। श्रम न्यायालय, जालंधर के मामले में इस न्यायालय ने एक विस्तृत जानकारी दी है। खंड (ख) की व्याख्या '। खंड (ख) द्वारा अनुध्यात 'प्रतिष्ठान' प्रतिष्ठानों के संबंध में किसी राज्य में तत्काल लागू किसी भी कानून के अर्थ के भीतर प्रतिष्ठान हो सकते हैं। प्रतिष्ठानों को अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 2 के खंड (ई) में परिभाषित किया गया है। अनुबंध श्रम अधिनियम प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जैसा कि प्रदान किया गया है।

धारा 1 की उप-धारा (4) (क) में। धारा 1 की उप-धारा (2) को ध्यान में रखते हुए, अनुबंध श्रम अधिनियम निम्नलिखित राज्यों में लागू होता है -

गुजरात। इसलिए, यह गुजरात राज्य में प्रतिष्ठानों के संबंध में कानून है। एडब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यूएच का चयन और नियुक्तियां गुजरात सरकार द्वारा की जा रही हैं। उक्त सरकार के एक अधिकारी को ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. की नियुक्ति को समाप्त करने का आदेश जारी करने का अधिकार है। आंगनवाड़ी केंद्र सरकार की एक विस्तारित शाखा बन गए हैं। अब, यह एक प्रतिष्ठान या सरकार की एक शाखा के रूप में काम करता है। ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. को पारिश्रमिक राज्य द्वारा दिया जाता है।

सरकार। हालांकि, राज्य सरकार को केंद्र सरकार से योगदान मिलता है। इसके अलावा, यह हमेशा कहा जा सकता है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के प्रतिष्ठानों में व्यवसाय किया जाता है। इसलिए, आंगनवाड़ी केंद्र अनुबंध श्रम अधिनियम की धारा 2 के खंड (ई) के अर्थ के भीतर एक प्रतिष्ठान है। यह राज्य सरकार का मामला नहीं है कि प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र एक अलग इकाई है। आंगनवाड़ी केंद्र और छोटी आंगनवाड़ी केंद्र राज्य सरकार के आंगनवाड़ी प्रतिष्ठान का एक हिस्सा हैं। आंगनवाड़ी केंद्र राज्य में दस या अधिक ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. को नियुक्त कर रहे हैं। वहाँ है।

अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि आंगनवाड़ी केंद्र 1972 के अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (3) के खंड (बी) द्वारा अनुध्यात प्रतिष्ठान। [पैरा 21,22,24 और 27] [781-एच; 782-डी-ई; एफ-जी; 784-जी-एच; 785-बी-ई; जी-एच; 786-ए]

बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम। ए.

राजप्पा और अन्य, 1978 (2) एस. सी. सी. 214 आयोजित

अप्रयोज्य।

पंजाब राज्य बनाम। श्रम न्यायालय, जालंधर और अन्य 1980 (1) एस. सी. सी. 4: [1980] 1 एस. सी. आर. 953-पर निर्भर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. 'मजदूरी' की परिभाषा बहुत व्यापक है। इसका अर्थ है सभी परिलब्धि जो ड्यूटी पर एक कर्मचारी द्वारा अर्जित की जाती हैं। इस प्रकार,

ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. को दिया जाने वाला मानदेय भी मजदूरी की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। चूंकि ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. को राज्य सरकार द्वारा उन प्रतिष्ठानों में मजदूरी के लिए नियुक्त किया जाता है, जिन पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 लागू होता है, ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. 1972 के अधिनियम के अर्थ के भीतर कर्मचारी हैं। गुजरात सरकार के उक्त नियमों को देखते हुए आंगनवाड़ी केंद्र केंद्र सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं। इसलिए, राज्य सरकार 1972 के अधिनियम की धारा 2 के खंड (ए) के अर्थ के भीतर एक उपयुक्त सरकार होगी। तदनुसार, उपयुक्त सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति या प्राधिकारी

6. इसके अलावा, भारत सरकार ने 3 अप्रैल 1997 की एक अधिसूचना द्वारा शैक्षणिक संस्थानों को इस प्रकार अधिसूचित किया है - 1972 के अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (3) के खंड (सी) के तहत प्रतिष्ठान। आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए एक पूर्व विद्यालय चलाने की गतिविधि संचालित की जा रही है। यह विशुद्ध रूप से एक शैक्षिक गतिविधि है। अध्यापन का काम ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार आर. टी. ई. अधिनियम की धारा 11 के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों में प्री-स्कूल चला रही है। [पैरा 30] [787-डी-एफ]

7. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधान आंगनवाड़ी केंद्रों में काम करने वाले ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. पर लागू होते हैं। आज से तीन महीने की अवधि के भीतर, गुजरात राज्य में संबंधित अधिकारियों द्वारा 1972 के अधिनियम के तहत योग्य ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. एस. और ए. डब्ल्यू. एच. को उक्त अधिनियम का लाभ देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। [पैरा 32] [788-बी-सी]

अहमदाबाद प्रा. प्राथमिक शिक्षक संघ। वी. प्रशासनिक अधिकारी और अन्य, 2004 (1) एस. सी. सी. 755: [2004] 1 एससीआर 470 और जया बच्चन बनाम। भारत संघ और अन्य, 2006 (5) एससीसी 266: [2006] 2 पूरक।

एस. सी. आर. 110 संदर्भित है।

मणिबेन मगनभाई भारिया बनाम। जिला विकास अधिकारी दाहोद

अजय रस्तोगी के अनुसार जे. (पूरक)

1. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायकों (एडब्ल्यूएच) की भूमिका न केवल कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में है, बल्कि

कोविड-19 महामारी के दौरान एक महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो विभिन्न चुनौतियों का जवाब देने में राष्ट्र के सामने अभूतपूर्व स्वास्थ्य युद्ध था। ये अग्रिम मोर्चे महिला कर्मचारी आई. सी. डी. एस. की रीढ़ हैं। आईसीडीएस योजना केवल एक कल्याणकारी योजना नहीं है, बल्कि छह साल से कम उम्र के बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने का एक साधन है-जिसमें पोषण, स्वास्थ्य और आनंदपूर्ण शिक्षा का अधिकार और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के अधिकार शामिल हैं। बच्चों का अस्तित्व, कल्याण और अधिकार सामाजिक मुद्दे बन जाते हैं।

पूरे समुदाय के हित में और न कि केवल संबंधित परिवारों की माताओं के लिए। सामाजिक बाल देखभाल "महिलाओं की मुक्ति में भी योगदान देती हैः यह बच्चों की देखभाल के बोझ को कम करता है, महिलाओं के लिए पारिश्रमिक रोजगार का एक संभावित स्रोत प्रदान करता है और उन्हें महिला संगठनों के निर्माण का अवसर देता है। बाल देखभाल के इन समृद्ध योगदानों के आलोक में

श्रमिकों/सहायकों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है जिन्हें अब महत्वपूर्ण सेवाओं के वितरण से लेकर समुदाय/महिला समूहों/महिला मंडलों को शामिल करने और विभिन्न कार्यों को करने की आवश्यकता है। विभिन्न क्षेत्रीय सेवाओं का प्रभावी अभिसरण सुनिश्चित करना। आई. सी. डी. एस. के पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण के लिए आंगनवाड़ी की नियुक्ति को तर्कसंगत बनाने के प्रावधान किए गए हैं।

पर्यवेक्षक के रूप में कर्मचारी जो सरकार के तहत एक संवर्ग पद है। इसके अलावा, गुजरात सरकार अपने 25 वें (2022) 5 एस. सी. आर. के संकल्प के अनुसार एक समग्र योजना भी लेकर आई है।

नवंबर, 2019 उस प्रक्रिया को निर्धारित करता है जिसके अनुसार एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जाएगा।

पात्रता मानदंड (शैक्षणिक योग्यता सहित) निर्धारित करने का पालन किया गया जिसके अनुसार उम्मीदवारों की योग्यता सूची जिन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों के पद के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लिया था, उन्हें नियुक्त किया जाएगा और यदि कोई प्रतिभागी/आवेदक अधिकारियों द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया से असंतुष्ट या व्यथित है, तो वे उक्त उद्देश्य के लिए गठित समिति से अपील कर सकते हैं। [पारस 42 और 45] [799-एच; 800-ए-सी; 801-बी-सी]

3. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों को दिया जाने वाला मानदेय

यह मूल रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाने वाली/प्रदान की जाने वाली राशि है जो विशेष रूप से एक पेशेवर या सेवा प्रदान करने के लिए एक सम्मानित व्यक्ति है। यह एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है। हालाँकि, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों को 'मानदेय' शब्द को पेश करने में उत्तरदाताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले नामकरण के साथ जो भुगतान किया जा रहा है, वह वास्तव में महीने के अंत में प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान किया गया 'वेतन' है। यह परिलब्धियों का एक रूप है जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 2 (ओं) के तहत परिभाषित रोजगार की शर्तों के अनुसार कर्तव्य के निर्वहन पर अर्जित किया जा रहा है। [पैरा 48] [801-एफ-जी] 4. अमीरबी मामले में, जिस पर उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने भरोसा रखा है, यह एक ऐसा मामला था जिसमें विचार के लिए यह सवाल उठाया गया था कि क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायक के रूप में नियुक्त किए गए लोग सिविल पदों के धारक हैं और संविधान के अनुच्छेद 311 की सुरक्षा प्राप्त करने के हकदार हैं। वर्तमान मामलों में, विचार के लिए उठाया गया प्रश्न इस हद तक सीमित है कि क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायक के रूप में काम करने वाले लोग अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत उपदान का दावा करने के पात्र हैं। इसलिए, अमीरबी के फैसले पर डिवीजन बेंच द्वारा भरोसा किया गया

उच्च न्यायालय और उत्तरदाताओं द्वारा इस न्यायालय के समक्ष रखा गया कोई सहायक नहीं है और तत्काल अपीलों में इस न्यायालय के समक्ष उठाए गए प्रश्न के संबंध में अभी तक कोई आवेदन नहीं है। [पारस 49,50 और 51]

[801 - एच; 802-ए-डी]

कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम। अमीरबी और अन्य, 2007 (11) एससीसी 681: [2006] 10 पूरक। एस. सी. आर. 329-लागू नहीं होता है।

मणिबेन मगनभाई भारिया बनाम। जिला विकास अधिकारी दहोद

भारतीय स्टेट बैंक बनाम श्री एन. सुंदरा मनी 1976 (1) एससीसी 822: [1976] 3 एस. सी. आर. 160; बैंगलोर जलापूर्ति

और सीवरेज बोर्ड बनाम। ए. राजप्पा और अन्य 1978

(2) एस. सी. सी. 212: [1978] 3 एस. सी. आर. 207; संत राम बनाम राजिंदर

लाल और अन्य 1979 (2) एस. सी. सी. 274: [1979] 1 एससीआर 900;

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य बनाम राष्ट्रीय संघ

तटवर्ती कार्यकर्ता और अन्य 2001 (7) एस. सी. सी. 1: [2001]

2 पूरक। एस. सी. आर. 343; पंजाब राज्य बनाम। श्रम न्यायालय,

जालंदर और अन्य 1980 (1) एस. सी. सी. 4: [1980]

1 एस. सी. आर. 953; अहमदाबाद निजी प्राथमिक शिक्षक

एसोसिएशन वी। प्रशासनिक अधिकारी और अन्य 2004

(1) एससीसी 755: [2004] 1 एस. सी. आर. 470; जया बच्चन बनाम

भारत संघ और अन्य 2006 (5) एससीसी 266: [2006]

2 पूरक। एस. सी. आर. 110; बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान बनाम। राज्य झारखंड और अन्य 2019 (4) एस. सी. सी. 513: [2019]

2 एस. सी. आर. 963 और उन्नी कृष्णन जे. पी. और अन्य बनाम राज्य

आंध्र प्रदेश और अन्य (1993) 4 एस. सी. सी. 111 संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

अभय एस. ओ. के. ए. के निर्णय में, जे.

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 2 (डी)

(1978) 2 एससीसी213

पै

रा 2 (एफ)

[2004] 1 एससीआर 470

संदर्भित किया गया है

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 2 (एच)

[2006] 10 पूरक। एससीआर 329

पै

रा 2 (i)

[2006] 2 पूरक। एससीआर 110

संदर्भित किया गया है

[1980] 1 एससीआर 953

पै

रा 2 (जे)

उस पर भरोसा करें

अजय रस्तोगी के फैसले में, जे।

[1976] 3 एससीआर 160

संदर्भित किया गया है

पै

रा 15

[1978] 3 एससीआर 207

पै

रा 15

संदर्भित किया गया है

[1979] 1 एससीआर 900

संदर्भित किया गया है

पै

रा 15

[2001] 2 पूरक। एससीआर 343

संदर्भित किया गया है

पै

रा 15

[1980] 1 एससीआर 953

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

[2004] 1 एससीआर 470

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

[2006] 2 पूरक। एससीआर 110

संदर्भित किया गया है

[2006] 10 पूरक। एससीआर 329

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 16

[2019] 2 एससीआर 963

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

(1993) 4 एससीसी 111

संदर्भित किया गया है

पैरा 24

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 3153

2022 तक।

उच्च न्यायालय के 08.08.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2016 के एल. पी. ए. सं. 939 में अहमदाबाद में गुजरात सरकार द्वारा।

के साथ

2022 की सिविल अपील Nos.3154,3155,3156,3157 और 3158।

संजय पारिख, पी. वी. सुरेंद्रनाथ, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री प्योली, सातविक पारिख, राहुल नारंग, सुभाष चंद्रन के. आर., बीजू पी. रमन, सावन कुमार शुक्ला, पवन के. डबास, एड. अपीलार्थी के लिए।

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, एएसजी, सुश्री आस्था मेहता, सुश्री प्रेरणा महापात्रा, सुश्री दीपानविता प्रियंका, सुश्री हेमंतिका वाही, गुरमीत सिंह मक्कर, सुश्री आकांक्षा कौल, बी. के. सतीजा, मोहम्मद। अखिल, सुघोश सुब्रमण्यम, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अभय एस. ओकेए, जे.

छुट्टी दे दी गई।

1. इन अपीलों में शामिल मुद्दा यह है कि क्या आंगनवाड़ी

एकीकृत बाल विकास योजना (संक्षेप में "आईसीडीएस") के तहत स्थापित आंगनवाड़ी केंद्रों में काम करने के लिए नियुक्त कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायक ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 (संक्षेप में "1972 अधिनियम") के तहत ग्रेच्युटी के हकदार हैं। अपीलार्थी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और/या उनके संगठन हैं। अपीलें जिला विकास अधिकारी और दो अन्य अधिकारियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं से उत्पन्न होती हैं।

1972 के अधिनियम के तहत नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के लिए अपवाद। नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा दिया गया निष्कर्ष जिसकी अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई थी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायक (एडब्ल्यूएचएस) 1972 के अधिनियम के तहत उपदान के हकदार हैं। अपीलीय प्राधिकरण ने उक्त आदेशों की पुष्टि की। विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। लेटर्स पेटेंट अपील्स में, गुजरात उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने हस्तक्षेप किया और नियंत्रक प्राधिकरण और अपीलीय मनीबेन मगनभाई भार्या बनाम द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया।

जिला विकास अधिकारी दाहोद [अभय एस. ओका, जे.]

1972 के अधिनियम के तहत प्राधिकरण। डिवीजन बेंच ने कहा कि 1972 के अधिनियम की धारा 2 (ई) के अनुसार एडब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यूएचएस को कर्मचारी नहीं कहा जा सकता है और आईसीडीएस परियोजना को एक उद्योग नहीं कहा जा सकता है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि चूंकि उन्हें दिए गए पारिश्रमिक या मानदेय को 1972 के अधिनियम की धारा 2 (ओं) के अर्थ के भीतर मजदूरी के रूप में नहीं माना जा सकता है, इसलिए वे उपदान के हकदार नहीं हैं। डिवीजन बेंच का निर्णय इस न्यायालय के समक्ष चुनौती का विषय है।

अपीलार्थियों की प्रस्तुतियाँ

2. अपीलों के समर्थन में अपीलार्थियों की ओर से विस्तृत प्रस्तुतियाँ की गई हैं। प्रस्तुतियाँ श्री द्वारा की गई हैं।

संजय पारिख, विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री पी. वी. सुरेंद्रनाथ, विद्वान वरिष्ठ वकील। प्रस्तुतियों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता हैः

1972 का अधिनियम एक सामाजिक सुरक्षा कल्याण कानून है। द.

अ)

1972 अधिनियम यह मानता है कि समाज के सभी व्यक्तियों को अयोग्यता, वृद्धावस्था के कारण काम करने में असमर्थता के कारण बेरोजगारी के कारण आय के नुकसान के खिलाफ सुरक्षा की आवश्यकता है।

आदि।

आईसीडीएस के तहत स्थापित आंगनवाड़ी केंद्र 'प्रतिष्ठान' हैं।

ख)

1972 के अधिनियम की धारा 1 (3) के खंड (बी) के अर्थ के भीतर। 1972 के अधिनियम के तहत 'स्थापना' की अवधारणा बहुत अधिक है।

(ग)

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में, 1947) की धारा 2 (जे) के तहत 'उद्योग' की परिभाषा से अधिक व्यापक

अधिनियम ")।

के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए

(घ)

बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड v. ए.

राजप्पा और अन्य लोगों ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों में सेवा प्रदान करने के लिए नियोक्ता और कर्मचारियों के सहयोग से एक व्यवस्थित और संगठित गतिविधि की जाती है, इसलिए आंगनवाड़ी केंद्रों को 'उद्योग' के रूप में माना जाएगा। वैकल्पिक रूप से, यह प्रस्तुत किया गया था कि भले ही खंड (बी)

ई)

1972 के अधिनियम की धारा 1 (3) आंगनवाड़ी केंद्रों पर लागू नहीं होती है, धारा 1 (3) का खंड (सी) इस प्रकार लागू होगा -

भारत सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को अधिसूचित करके धारा 1 (3) के खंड (सी) के तहत शक्ति का प्रयोग किया है -

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आई. सी. डी. एस. योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में इस आयु के बच्चों को पूर्व-विद्यालय गैर-औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। 3 से 6 का समूह। आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण और स्वास्थ्य के बारे में भी पढ़ाया जाता है। अतः आंगनवाड़ी केंद्र शैक्षणिक संस्थान हैं।

के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा रखना

च)

प्रशासनिक अधिकारी और अन्य 2, यह प्रस्तुत किया गया कि ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार, शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षण के साथ-साथ गैर-शिक्षण कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्णय का प्रभाव यह है कि 1972 का अधिनियम शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के अलावा अन्य कर्मचारियों को भी शामिल करेगा। अहमदाबाद प्राथमिक शिक्षकों का निर्णय लेते समय '

जी)

एसोसिएशन के मामले में, इस न्यायालय ने 1972 के अधिनियम में 'कर्मचारी' की परिभाषा पर भरोसा किया, जो "किसी भी कुशल, अर्ध-कुशल या अकुशल कार्य को करने के लिए" शब्दों द्वारा प्रतिबंधित था। 2009 के अधिनियम संख्या 47 द्वारा, इन शब्दों को हटा दिया गया था, और इसलिए, धारा 2 (ई) के तहत 'कर्मचारी' की परिभाषा

1972 का अधिनियम बहुत व्यापक हो गया है।

ज)

कर्नाटक राज्य और अन्य के मामले में यह न्यायालय वी. अमीरबी और अन्य 3 ने माना कि एडब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यूएच हैं

आंगनवाड़ी केंद्र या आईसीडीएस के कर्मचारी नहीं योजना। उक्त मामले में, विवाद इस मुद्दे तक सीमित था कि क्या ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. को कर्नाटक राज्य के अधिकार क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए सिविल पदों पर रखा जा सकता है।

प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 15 के तहत स्थापित प्रशासनिक न्यायाधिकरण। अतः उक्त निर्णय

इस मामले में प्रासंगिक नहीं है।

(i)

केवल इसलिए कि ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. को दिया जाने वाला मासिक पारिश्रमिक

मानदेय के रूप में शैलीबद्ध है, यह निर्णायक नहीं हो सकता है। के तहत 1972 के अधिनियम की धारा 2 (ओं), दोनों श्रेणियों को शामिल करने के लिए 'मजदूरी' की परिभाषा बहुत व्यापक है। एडब्ल्यूडब्ल्यूएस और एडब्ल्यूएचएस

पूर्णकालिक नौकरी कर रहे हैं जिसमें महिलाओं और बच्चों से संबंधित कई कर्तव्य शामिल हैं। रिलायंस को एक निर्णय पर रखा गया था

(1) एस. सी. सी. 755

(11) एस. सी. सी. 681 मनीबेन मगनभाई भारिया बनाम। जिला विकास अधिकारी दाहोद [अभय एस. ओका, जे.]

जया बच्चन बनाम के मामले में यह न्यायालय। भारत संघ

और अन्य 4।

रिलायंस को स्थापना की परिभाषाओं पर रखा गया था और

जे)

' विभिन्न कानूनों के तहत औद्योगिक प्रतिष्ठान। इस ओर से पंजाब राज्य बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया गया था। श्रम न्यायालय, जालंदूर

और अन्य 5।

निवेदन यह है कि 1972 के अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं।

के)

AWWs और AWHs के लिए।

उत्तरदाताओं की प्रस्तुतियाँ

3. गुजरात राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील सुश्री आस्था मेहता ने कहा कि आईसीडीएस केंद्र सरकार की एक योजना है

जिसे राज्य सरकारें लागू कर रही हैं। उनका कहना है कि ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. एस. और ए. डब्ल्यू. एच. स्थानीय निवासियों में से नियुक्त किए जाते हैं। आम तौर पर, जो महिलाएं खाना पकाने, भोजन प्रसंस्करण, सफाई आदि में पारंगत हैं, उन्हें वार्षिक आधार पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें मानदेय दिया जा रहा है न कि मजदूरी। यह बताया गया है कि ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. को देय मानदेय को वर्ष 2020 में बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि हालांकि मानदेय में केंद्र सरकार का हिस्सा नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन 21 मार्च 2020 के सरकारी प्रस्ताव के तहत राज्य सरकार ने अपना योगदान बढ़ाया है और अब

ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. का पारिश्रमिक 7,800/- रुपये प्रति माह है। उन्होंने कहा कि राज्य द्वारा कई अन्य लाभ उपलब्ध कराए गए हैं

सरकार ने ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. को जवाबी हलफनामे में बताया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह बताया गया है कि गुजरात राज्य में आईसीडीएस के तहत 53,029 आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित हैं, और वर्तमान में पूरे राज्य में लगभग 51,560 एडब्ल्यूडब्ल्यू और 48,690 एडब्ल्यूएच हैं। यदि उन्हें उपदान देय माना जाता है, तो उन पर काफी वित्तीय बोझ पड़ेगा। ग्रेच्युटी के लिए देय राशि के रूप में राज्य के खजाने की राशि Rs.25 करोड़ से अधिक होगी।

आई. सी. डी. एस. योजना को लागू करने में आंगनवाड़ी केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका और इसके परिणामस्वरूप ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. की भूमिका, 42006 (5) एससीसी 266 5 1980 (1) एससीसी 4 [2022] 5 एस. सी. आर.

1972 अधिनियम उन पर लागू नहीं होता है। उन्होंने बताया कि धारा 1 (3) का खंड (बी) किसी राज्य में दुकानों और प्रतिष्ठानों के संबंध में कुछ समय के लिए लागू किसी भी कानून के अर्थ के भीतर 'प्रतिष्ठानों' को संदर्भित करता है और इसलिए, इस मामले में, गुजरात दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1948 (संक्षेप में 'गुजरात अधिनियम') के प्रावधान लागू होते हैं।

बैंगलोर टर्फ क्लब लिमिटेड बनाम के मामले में यह न्यायालय। क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उन्होंने प्रस्तुत किया कि 1972 के अधिनियम में प्रयुक्त 'स्थापना' शब्द वाणिज्यिक गतिविधि के एक तत्व को पूर्वनिर्धारित करता है। उन्होंने कहा कि ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. को जो भुगतान किया जा रहा है वह एक मानदेय है जिसे मजदूरी के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। के समर्थन में

एक बड़ी पीठ को भेजा गया है। उन्होंने बताया कि ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. एस. मूल्यवान सहायता प्रदान करते हैं, इसलिए बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा उन्हें, जैसा कि जवाबी हलफनामे में बताया गया है। बीमा लाभों के अलावा अन्य लाभ ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. एस. को भी दिए जा रहे हैं।

अपीलार्थियों के प्रतिनिधि

5. अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील ने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्र कार्यान्वयन के वैधानिक कर्तव्य का पालन कर रहे हैं

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 4,5 और 6 के प्रावधान (संक्षेप में "2013 का अधिनियम")। ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. के कर्तव्यों की ओर इशारा करते हुए, जिन्हें 2021 के आई. ए. संख्या 161608 के साथ रिकॉर्ड में रखा गया है, यह बताया गया कि उनकी जिम्मेदारियां न केवल आंगनवाड़ी केंद्रों को चलाने के लिए हैं, बल्कि आंगनवाड़ियों में पूर्व-प्राथमिक विद्यालय चलाने के लिए भी हैं। इसके अलावा, वे विभिन्न मामलों के लिए घर का दौरा करने के लिए बाध्य हैं।

उद्देश्य। यह निश्चित है कि वे पूर्णकालिक काम कर रहे हैं और भारी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं।

62014 (9) एस. सी. सी. 657 मनीबेन मगनभाई भारिया बनाम। जिला विकास अधिकारी दाहोद [अभय एस. ओका, जे.]

आंगनबाडी श्रमिकों और सहायकों की भूमिका

6. मैंने प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 1975 को आईसीडीएस की शुरुआत की। आई. सी. डी. एस. के तहत छह सेवाएं प्रदान की जा रही हैं: -

पूरक पोषण,

((i)

पूर्व-विद्यालय गैर-औपचारिक शिक्षा,

((ख)

((ग) पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा,

((iv)

टीकाकरण,

(v) स्वास्थ्य जांच और

(vi) रेफरल सेवाएँ।

आई. सी. डी. एस. और आंगनवाड़ी केंद्रों को चलाने की लागत भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा साझा की जा रही है। 7. 2013 का अधिनियम 5 जुलाई 2013 को लागू हुआ। 2013 के अधिनियम को लागू करने के उद्देश्यों में से एक भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 को प्रभावी बनाना था, जो राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है। अनुच्छेद 47 इस प्रकार कहता है:

राज्य अपने लोगों के पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और जनता के जीवन स्तर में सुधार पर विचार करेगा। स्वास्थ्य अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से एक है और विशेष रूप से, राज्य मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के औषधीय उद्देश्य को छोड़कर सेवन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा।

47 , भारत ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा। उक्त सम्मेलन सभी राज्यों पर नागरिकों के पर्याप्त भोजन के अधिकार को मान्यता देने की जिम्मेदारी डालता है। जैसा कि 2013 के अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में प्रदान किया गया है, इसका एक उद्देश्य सुधार करना है

महिलाओं और बच्चों की पोषण स्थिति। 2013 के अधिनियम का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करने में बदलाव लाना था। इस दृष्टिकोण को कल्याण दृष्टिकोण से अधिकारों के लिए बदल दिया गया-

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हाँ। आंगनवाड़ी केंद्रों की भूमिका को 2013 के अधिनियम के पैराग्राफ 7 ई स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स में जगह मिली है।9. आंगनवाड़ी केंद्रों को 2013 के अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के तहत वैधानिक रूप से मान्यता दी गई थी।

" (1) " आंगनवाड़ी "का अर्थ है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत स्थापित बाल देखभाल और विकास केंद्र।

केंद्र सरकार धारा 5 और धारा 6 की उप-धारा (1) की धारा 4, खंड (ए) के तहत सेवाएं प्रदान करेगी।

10. आंगनवाड़ी केंद्रों को 2013 के अधिनियम की धारा 4 से 6 को लागू करने में बहुत महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है।

हंसः

" 4. गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण संबंधी सहायता माताएँ। - केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं के अधीन, प्रत्येक गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिला

माँ को अधिकार होगा (क) गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के छह महीने बाद, स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से निःशुल्क भोजन, ताकि अनुसूची II में निर्दिष्ट पोषण मानकों को पूरा किया जा सके; और

(ख) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किश्तों में छह हजार रुपये से कम का प्रसूति लाभ।

बशर्ते कि केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियमित रूप से कार्यरत सभी गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं या जिन्हें कुछ समय के लिए किसी भी कानून के तहत समान लाभ प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें नहीं दिया जाएगा।

खंड (ख) में विनिर्दिष्ट लाभों के हकदार।

5.बच्चों को पोषण संबंधी सहायता-(1) खंड (बी) में निहित प्रावधानों के अधीन, चौदह वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बच्चे को अपने पोषण के लिए निम्नलिखित अधिकार होंगे।

आवश्यकताएँ, अर्थात्ः

(ए) छह महीने की आयु वर्ग के बच्चों के मामले में

छह साल, आयु उपयुक्त भोजन, निः शुल्क, के माध्यम से

स्थानीय आंगनवाड़ी ताकि पोषण मानकों को पूरा किया जा सके

अनुसूची II में निर्दिष्टः बशर्ते कि छह महीने से कम उम्र के बच्चों के लिए, विशेष

स्तनपान को बढ़ावा दिया जाएगा; मणिबेन मगनभाई भार्या बनाम।

जिला विकास अधिकारी दाहोद [अभय एस. ओका, जे.]

(ख) बच्चों के मामले में, आठवीं कक्षा तक या आयु वर्ग के भीतर

छह से चौदह वर्ष, जो भी लागू हो, एक मध्य-दिन

स्कूल की छुट्टियों को छोड़कर हर दिन मुफ्त भोजन स्थानीय निकायों, सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा संचालित

विद्यालय, ताकि अनुसूची में निर्दिष्ट पोषण मानकों को पूरा किया जा सके

II.

(2) उप-धारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय,

और आंगनवाड़ी में खाना पकाने की सुविधा होगी,

पेयजल और स्वच्छता -

बशर्ते कि शहरी क्षेत्रों में केंद्रीकृत रसोई की सुविधाएँ

जहाँ भी आवश्यकता हो, खाना पकाने के लिए भोजन का उपयोग किया जा सकता है।

केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश।

6. बाल कुपोषण की रोकथाम और प्रबंधन। - द.

राज्य सरकार स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से,

उन बच्चों की पहचान करें और उन्हें मुफ्त में भोजन प्रदान करें जो

कुपोषण से पीड़ित हैं, ताकि पोषण मानकों को पूरा किया जा सके

अनुसूची II में निर्दिष्ट किया गया है।

(जोर दिया गया)

11. ऊपर वर्णित प्रावधानों में इन अधिकारों को निर्धारित किया गया है -

गर्भवती महिलाएँ, स्तनपान कराने वाली माताएँ और 6 महीने से 6 साल के आयु वर्ग के बच्चे। इसके अलावा, जो बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं, वे आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से मुफ्त भोजन का लाभ पाने के हकदार हैं। ये अधिकार उक्त लाभार्थियों को संबंधित अधिकार प्रदान करते हैं। 2013 के अधिनियम की धारा 4,5 और 6 में निर्दिष्ट लाभ आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं जैसा कि पूरक पोषण में निर्धारित किया गया है।

(एकीकृत बाल विकास सेवा योजना) नियम, 2017 (संक्षेप में "पूरक पोषण नियम") के तहत। पूरक पोषण नियमों के नियम 3 और 4 प्रासंगिक हैं जो इस प्रकार हैं:

" 3. हकदारी की प्रकृति। - (1) निर्दिष्ट अधिकार

अधिनियम की धारा 4,5 और धारा 6 के तहत प्रावधान किया जाएगा।

आंगनवाड़ी सेवाओं का पूरक पोषण कार्यक्रम

(एकीकृत बाल विकास सेवा योजना) सरकार हर गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली मां को तब तक

बच्चे के जन्म के छह महीने बाद, और छह वर्ष की आयु वर्ग का प्रत्येक बच्चा महीनों से छह साल तक (कुपोषण से पीड़ित लोगों सहित)।

(2) आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत पूरक पोषण

(एकीकृत बाल विकास सेवाएँ) मुख्य रूप से [2022] 5 एस. सी. आर. के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

अनुशंसित आहार भत्ते के बीच की खाई को पाटें

और औसत दैनिक सेवन।

4. भोजन परोसने का स्थान। - (1) आंगनवाड़ी सेवाएँ

(एकीकृत बाल विकास सेवाएँ) एक स्व-चयन है।

योजना और अधिकार, जैसा कि खंड (ए) में उल्लिखित है

समय-समय पर प्रशासन।

(2) भोजन निकटतम आंगनवाड़ी में परोसा जाएगा।

ऐसे केंद्र जहां लाभार्थी पंजीकृत या नामांकित है।

(जोर दिया गया)

12. इस प्रकार, आंगनवाड़ी केंद्रों को सौंपा गया है

2013 के अधिनियम के कुछ सबसे महत्वपूर्ण और नवीन प्रावधानों को लागू करने की भारी जिम्मेदारी। यह कहा जा सकता है कि आंगनवाड़ी केंद्र गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 महीने से 6 साल की आयु वर्ग के बच्चों को पोषण सहायता प्रदान करने के लिए राज्य के वैधानिक दायित्व का निर्वहन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ए मुफ्त

गर्भवती माताओं को गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से भोजन प्रदान किया जाता है। बच्चों के मामले में 6 महीने से 6 साल की आयु वर्ग के लोगों को आंगनवाड़ी केंद्रों में उचित निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाना है। इसके अलावा, कुपोषण से पीड़ित बच्चों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण कर्तव्य आंगनवाड़ी केंद्रों को सौंपा गया है। आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले मुफ्त भोजन को 2013 अधिनियम की अनुसूची II में निर्दिष्ट पोषण संबंधी आवश्यकताओं और मानकों को पूरा करना होगा। इसलिए इसके तहत

धारा 5 की उप-धारा (2) में एक प्रावधान है कि प्रत्येक आंगनवाड़ी

केंद्र में खाना पकाने, पीने के पानी और स्वच्छता की उचित सुविधा होगी। स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्रों को सौंपा गया एक अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक कर्तव्य कुपोषण से पीड़ित बच्चों की पहचान करना है ताकि ऐसे चिन्हित बच्चों को मुफ्त भोजन प्रदान किया जा सके। ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. आंगनवाड़ी केंद्रों की रीढ़ हैं और इसलिए, 2013 के अधिनियम के तहत लाभार्थियों को लाभ देने की यह भारी जिम्मेदारी है

उन पर है। आंगनवाड़ी केंद्र 6 महीने से 6 साल के आयु वर्ग के बच्चों और कुपोषण से पीड़ित बच्चों के स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

मणिबेन मगनभाई भारिया बनाम। जिला विकास अधिकारी दाहोद [अभय एस. ओका, जे.]

13. अब, गुजरात राज्य पर आते हुए, 25 नवंबर 2019 का सरकारी प्रस्ताव (आई. ए. सं. 1 का अनुलग्नक ए-1)। 161608 2021 का)

ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. के संबंध में चयन मानदंड, कर्तव्यों, अनुशासनात्मक कार्रवाई, नियमों आदि के संबंध में विस्तृत प्रावधान निर्धारित करता है। वास्तव में, उक्त प्रस्ताव द्वारा, राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायक (चयन मानदंड, मानद सेवा, समीक्षा और अनुशासन) नियम (संक्षेप में "उक्त नियम") बनाए हैं। एडब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यूएच के कर्तव्यों को सरकारी प्रस्ताव के परिशिष्ट-1 में निर्धारित किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण कार्य और जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं

परिशिष्ट-1 में ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. हम ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. एस. को सौंपे गए कुछ भारी कर्तव्यों और कार्यों को पुनः प्रस्तुत कर रहे हैंः

(अ)

ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. अपने क्षेत्र के भीतर सर्वेक्षण करेंगे

कर्तव्य और नियमित रूप से नोट करके रिकॉर्ड को अद्यतन करेगा

नई घटनाओं की घटना;

स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं प्रदान करने के अलावा

(ख)

अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले बच्चों, ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. का कर्तव्य है कि वे सभी बच्चों के विकास की निगरानी करें। वे गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों और चिकित्सा उपस्थिति की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करने के लिए भी बाध्य हैं।

((ग)

एडब्ल्यूडब्ल्यू का कर्तव्य है कि वे बच्चों के विकास की निगरानी करें

0 से 3 वर्ष के आयु वर्ग में, उनके वजन की निगरानी सहित। वे बच्चे के व्यक्तिगत विकास को मापने के लिए एक विकास चार्ट बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें उन बच्चों की पहचान करनी चाहिए जिनका वजन काफी कम है और ऐसे बच्चों की विशेष देखभाल करनी चाहिए।

((घ)

बच्चों से हर पखवाड़े चार बार मिलने जाना। बाल कुपोषण उपचार केंद्रों/पोषण पुनर्वास केंद्रों में पुनर्वास और यह सुनिश्चित करना कि उक्त बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में पूरक भोजन मिले।

(ई)

ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. को टीकाकरण सेवाओं को पूरा करने की भी आवश्यकता होती है आशा कार्यकर्ताओं की मदद से। वे स्वास्थ्य, पोषण और पोषण से संबंधित गतिविधियों को करने के लिए भी कर्तव्यबद्ध हैं।

स्वच्छता शिक्षा;

(च)

वे सुरक्षा और स्वच्छता मानदंडों का पालन करने के लिए जिम्मेदार हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में खाद्य सामग्री के संबंध में;

(जी)

एडब्ल्यूडब्ल्यूएस को सप्ताह में कम से कम तीन बार घर जाना चाहिए।

और 3 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं से मिलें, और स्तनपान कराने वाली माताएँ; [2022] 5 एस. सी. आर.

गतिविधियों में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने की दृष्टि से

(ज)

आंगनवाड़ियों में, उन्हें विभिन्न उत्सव मनाने की आवश्यकता होती है सभी चार मंगलवार को विशेष दिन;

विकलांग बच्चों की पहचान करना ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. का कर्तव्य है

((i)

या धीमी वृद्धि वाले बच्चे और रेफरल सेवाएं प्रदान करते हैं

उन्हें स्वास्थ्य जांच के लिए संदर्भित करके;

एडब्ल्यूडब्ल्यूएस को पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का संचालन करना आवश्यक है।

(1)

3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए गतिविधियाँ पूर्व-विद्यालय समय-सारणी का पालन करना और पूर्व-विद्यालय किट का उपयोग करना;

(के)

परिशिष्ट-1 में ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. की बैठकों में भाग लेने का प्रावधान है। विभिन्न समितियाँ;

(1)

ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. को कार्यान्वयन की देखरेख करने की आवश्यकता है।

और विभिन्न अन्य सेवाओं का समन्वय

सरकारी योजनाएं;

(एम) उनका कर्तव्य आधार पंजीकरण करना है

आंगनवाड़ी से जुड़े बच्चे; और

(एन) उन्हें कई रिपोर्ट, रजिस्टर, लाभार्थियों से संबंधित रिकॉर्ड, बच्चों की मृत्यु, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, और मासिक या मासिक जमा करने की आवश्यकता होती है।

वार्षिक प्रतिवेदन।

14. ए. डब्ल्यू. एच. के कर्तव्य और कार्य भी बहुत कठिन हैं।

महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से निम्नलिखित हैं:

आंगनवाड़ी केंद्रों और स्वच्छ आंगनवाड़ी केंद्रों के काम के घंटों से आधे घंटे पहले हर दिन रिपोर्ट करना। एक साफ और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र;

लाभार्थियों को स्वस्थ भोजन पकाना और परोसना;

बच्चों को आंगनवाड़ी में लाना और उन्हें उनके घर छोड़ने के लिए

घर;

खाना पकाने और परोसने के लिए उपयोग किए जाने वाले बर्तनों को साफ करना;

बच्चों की व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना;

जनसंपर्क और जनभागीदारी में एडब्ल्यूडब्ल्यू की मदद करना

काम करता है; और

बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी और राज्य द्वारा सौंपे गए आई. सी. डी. एस. से संबंधित सभी कर्तव्यों का पालन करना।

आईसीडीएस का कार्यालय।

मणिबेन मगनभाई भारिया बनाम। जिला विकास अधिकारी दाहोद [अभय एस. ओका, जे.]

15. आंगनवाड़ी केंद्रों के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए पूर्व-विद्यालय समय सारिणी का पालन करके और पूर्व-विद्यालय किट का उपयोग करके पूर्व-प्राथमिक शिक्षा गतिविधियों का संचालन करना है। यह 25 नवंबर 2019 के सरकारी प्रस्ताव में विशिष्ट प्रावधान है। इसमें यह भी प्रावधान है कि प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले आंगनवाड़ी बच्चों को बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इस पहलू पर, बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 (संक्षेप में, 'आरटीई अधिनियम') की धारा 11 प्रासंगिक है। धारा 11 इस प्रकार हैः

" 11. पूर्व-विद्यालयी शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयुक्त सरकार। तीन वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करने और छह वर्ष की आयु पूरी होने तक सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, उपयुक्त सरकार ऐसे बच्चों के लिए निःशुल्क पूर्व-विद्यालय शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकती है।

बच्चे "।

इस मामले में उपयुक्त सरकार गुजरात सरकार है। आर. टी. ई. अधिनियम की धारा 11 को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों में तीन वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए पूर्व-प्राथमिक विद्यालय संचालित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, जैसा कि उपरोक्त सरकारी प्रस्ताव में विशेष रूप से निर्धारित किया गया है, यह है -

आंगनवाड़ी केंद्रों में एक सुखद शैक्षिक वातावरण प्रदान करना ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. का कर्तव्य है। ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. का यह भी कर्तव्य है कि वे बच्चों के विकास का आकलन करें और "माई ग्रोथ स्टोरी" नामक पुस्तिका में प्रविष्टियां करें। इस प्रकार आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों के लिए पूर्व-प्राथमिक विद्यालय भी चला रहे हैं।

3 से 6 वर्ष का आयु वर्ग। पूर्व विद्यालय चलाने की शैक्षिक गतिविधि आंगनवाड़ी केंद्रों का एक अभिन्न अंग है। आंगनवाड़ी केंद्रों का प्रबंधन करने वाले ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. का कर्तव्य है कि वे पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों की भी देखभाल करें। हम यहां यह भी नोट कर सकते हैं कि 8 मार्च 2018 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण योजना की शुरुआत की है।

"समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना" के नाम से मिशन। योजना के एक हिस्से को लागू करने की जिम्मेदारी आंगनवाड़ी केंद्रों की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत सामाजिक-आर्थिक रूप से सक्षम बच्चों को प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है

कमजोर पृष्ठभूमि। यह प्रावधान किया गया है कि ईसीसीई का विस्तार किया जाएगा

आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अमेरिका के मामले में निर्णय

16. अमीरबी (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या एडब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यूएच सिविल पदों पर थे। मुद्दा यह है

यह था कि क्या प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 के तहत स्थापित राज्य न्यायाधिकरण के समक्ष एडब्ल्यूडब्ल्यू द्वारा दायर मूल आवेदन बनाए रखने योग्य थे। इस न्यायालय ने माना कि ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. के पद वैधानिक पद नहीं थे और इन्हें आई. सी. डी. एस. के संदर्भ में बनाया गया है। इसलिए, राज्य सरकार और एडब्ल्यूडब्ल्यू के बीच नियोक्ता और कर्मचारी का कोई संबंध नहीं था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एडब्ल्यूडब्ल्यू जारी नहीं रखते हैं राज्य का कोई भी कार्य। यह देखा गया कि ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. की नियुक्ति के लिए कोई भर्ती नियम नहीं बनाए गए हैं। वर्ष 2007 में अमीरबी (ऊपर) के मामले में निर्णय दिए जाने के बाद बहुत पानी बह गया है। जब इस न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय दिया गया था, तो 2013 का अधिनियम क़ानून की पुस्तक में नहीं था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, आईसीडीएस के तहत स्थापित आंगनवाड़ी केंद्रों को 2013 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है।

25 नवंबर 2019 के गुजरात सरकार के सरकारी प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है। 17. प्रस्ताव में उक्त नियमों को शामिल किया गया है जो ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. एस. और ए. डब्ल्यू. एच. के चयन मानदंड, शैक्षिक योग्यता, चयन प्रक्रिया आदि को निर्धारित करते हैं। उक्त नियमों के तहत, ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. की नियुक्तियां करने की एक विस्तृत प्रक्रिया को शामिल किया गया है। यह भी।

AWWs और AWHs के चयन के लिए अंकन प्रणाली को शामिल करता है।

उक्त नियमों में प्रावधान है कि ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. एस. और ए. डब्ल्यू. एच. 58 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहेंगे। यहां तक कि भर्ती की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम और अधिकतम आयु भी निर्धारित की गई है। ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. एस. और ए. डब्ल्यू. एच. की सेवाओं को समाप्त करने के प्रावधान हैं। हालाँकि उक्त नियम उनकी सेवा को मानद सेवा के रूप में संदर्भित करते हैं, लेकिन "मानद" शब्द का उपयोग एडब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यूएच की स्थिति का निर्धारण नहीं करता है।

18. 2013 के अधिनियम और आर. टी. ई. अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, आंगनवाड़ी केंद्र भी वैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। इसलिए,

यहां तक कि ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. एस. भी उक्त अधिनियमों के तहत वैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। इस प्रकार, 2013 के अधिनियम के अधिनियमन और गुजरात सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को देखते हुए आंगनवाड़ी केंद्र सरकार की एक विस्तारित शाखा बन गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत परिभाषित राज्य के दायित्वों को पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई है। यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि एडब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यूएच के पद वैधानिक पद हैं।

मणिबेन मगनभाई भारिया बनाम। जिला विकास अधिकारी दाहोद [अभय एस. ओका, जे.]

19. जहाँ तक गुजरात राज्य का संबंध है, एडब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यूएचएस की नियुक्तियाँ उक्त नियमों द्वारा शासित होती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए

2013 अधिनियम, एडब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यूएच अब किसी भी अस्थायी का हिस्सा नहीं हैं। आईसीडीएस की योजना। यह नहीं कहा जा सकता है कि ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. एस. के रोजगार को अस्थायी दर्जा प्राप्त है। 2013 के अधिनियम द्वारा लाए गए परिवर्तनों और गुजरात सरकार द्वारा बनाए गए उपरोक्त नियमों को देखते हुए, अमीरबी के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून इस न्यायालय को इस मुद्दे पर निर्णय लेने से आगे नहीं रोकेगा। ऊपर बताए गए कारणों से, अमीरबी के मामले में निर्णय का इन अपीलों में शामिल मुद्दे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. एस. और ए. डब्ल्यू. एच. एस. की विशेषताएँ

20. ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. को सभी व्यापक कर्तव्य सौंपे गए हैं।

2013 के अधिनियम के तहत बच्चों, गर्भवती महिलाओं के साथ-साथ स्तनपान कराने वाली माताओं से संबंधित नवीन प्रावधान उन्हें सौंपे गए हैं। अतः इस तर्क को स्वीकार करना असंभव है कि ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. को सौंपा गया काम एक अंशकालिक काम है। 25 नवंबर 2019 का सरकारी प्रस्ताव, जो एडब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यूएच के कर्तव्यों को निर्धारित करता है, यह निर्धारित नहीं करता है कि उनकी नौकरी एक अंशकालिक नौकरी है। इसके तहत निर्दिष्ट कर्तव्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह पूर्णकालिक रोजगार है। गुजरात राज्य में ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. को केवल 7,800/- रुपये का मासिक पारिश्रमिक दिया जा रहा है और ए. डब्ल्यू. एच. को केवल 3,950/- रुपये का मासिक पारिश्रमिक दिया जा रहा है। लघु-आंगनवाड़ी केंद्रों में काम करने वाले ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. को प्रति माह 4400/- रुपये का भुगतान किया जा रहा है। 6 महीने से 6 साल की उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं के साथ-साथ स्तनपान कराने वाली माताओं को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के महत्वपूर्ण कार्य उन्हें सौंपे गए हैं। इसके अलावा, पूर्व-विद्यालय शिक्षा प्रदान करना एक कर्तव्य है। इन सबके लिए उन्हें एक बीमा योजना के तहत बहुत कम पारिश्रमिक और मामूली लाभ दिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की। यह सही समय है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. की दुर्दशा पर गंभीरता से ध्यान दें, जिनसे समाज को ऐसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने की उम्मीद की जाती है।

1972 के प्रावधानों की प्रयोज्यता

ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. एस. और ए. डब्ल्यू. एच. एस. पर अधिनियम

21. अब, मैं 1972 के अधिनियम के प्रावधानों की ओर मुड़ता हूं। 1972 के अधिनियम की उप-धाराएँ (3) और (3ए) इसके प्रावधानों की प्रयोज्यता से संबंधित हैं।

धारा 1 की उप-धारा (3) और (3ए) इस प्रकार हैः

(क) प्रत्येक कारखाना, खदान, तेल क्षेत्र, बागान, बंदरगाह और रेलवे कंपनी;

(ख) प्रत्येक दुकान या प्रतिष्ठान के अर्थ में

दुकानों के संबंध में उस समय लागू कानून और

एक राज्य में प्रतिष्ठान, जिसमें दस या अधिक व्यक्ति हैं

पूर्ववर्ती के किसी भी दिन कार्यरत थे या कार्यरत थे

बारह महीने;

((ग) ऐसे अन्य प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों का वर्ग, जिनमें दस या अधिक कर्मचारी किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हैं या कार्यरत थे।

केंद्र सरकार के रूप में पिछले बारह महीनों का दिन

अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है। [(3 क) एक दुकान या प्रतिष्ठान जिसके लिए यह अधिनियम बन गया है।

लागू होने के बावजूद इस अधिनियम द्वारा शासित होता रहेगा।

कि उसके बाद किसी भी समय उसमें कार्यरत व्यक्तियों की संख्या दस से नीचे गिरना इतना लागू हो गया है।] "

(जोर दिया गया)

22. अपीलार्थियों द्वारा रिलायंस को खंड (बी) पर रखा गया है

धारा 1 (3) और वैकल्पिक में, खंड (ग) पर। धारा 1 (3) का खंड (बी) उस राज्य में दुकानों और प्रतिष्ठानों के संबंध में तत्काल लागू किसी कानून के अर्थ के भीतर प्रत्येक दुकान या प्रतिष्ठान पर लागू होता है जिसमें दस या उससे अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं या पिछले बारह महीनों के किसी भी दिन कार्यरत थे।

23. हालांकि, प्रस्तुतियों के दौरान, निर्भरता पहले थी

गुजरात की दुकानों और प्रतिष्ठानों (रोजगार और प्रबंधन का विनियमन) द्वारा गुजरात राज्य में लागू गुजरात अधिनियम पर रखा गया।

सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2019, गुजरात अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है।

24. अब सवाल यह है कि क्या संविधान की धारा 1 (3) का खंड (बी)

1972 अधिनियम लागू होगा। श्रम न्यायालय, जालंधर (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय ने खंड (ख) की व्यापक व्याख्या की है। उक्त निर्णय के पैरा 3 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

" 3. इस अपील में, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तर्क देते हैं

अपीलार्थी की ओर से कि उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 उत्तरदाताओं द्वारा लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि परियोजना करता है

यह उस अधिनियम की धारा 1 (3) के दायरे में नहीं आता है। धारा 1 (3) यह प्रावधान करता है कि अधिनियम निम्नलिखित पर लागू होगाः

(क) प्रत्येक कारखाना, खदान, तेल क्षेत्र, बागान, बंदरगाह और रेलवे

कंपनी; निबेन मगनभाई भार्या बनाम। जिला विकास अधिकारी दाहोद [अभय एस. ओका, जे.]

(ख) प्रत्येक दुकान या प्रतिष्ठान के अर्थ में

किसी राज्य में दुकानों और प्रतिष्ठानों के संबंध में कुछ समय के लिए लागू कानून, जिसमें दस या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं, या पिछले बारह महीनों के किसी भी दिन कार्यरत थे; ((ग) ऐसे अन्य प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों का वर्ग, जिसमें दस या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं या कार्यरत थे,

पूर्ववर्ती बारह महीनों के किसी भी दिन, केंद्रीय

सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है।

पक्षों के अनुसार, यह केवल खंड (बी) है जिस पर यह तय करने के लिए विचार करने की आवश्यकता है कि क्या अधिनियम परियोजना पर लागू होता है।

श्रम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि परियोजना मजदूरी भुगतान अधिनियम की धारा 2 (ii) (छ) के अर्थ के भीतर एक प्रतिष्ठान है, जिसमें एक "औद्योगिक प्रतिष्ठान" को किसी भी रूप में परिभाषित किया गया है।

" स्थापना जिसमें निर्माण से संबंधित कोई कार्य हो। इमारतों, सड़कों, पुलों या नहरों का विकास या रखरखाव, नौवहन, सिंचाई या पानी की आपूर्ति से जुड़े कार्यों से संबंधित, या बिजली के उत्पादन, संचरण और वितरण या बिजली के किसी अन्य रूप से किया जा रहा है। अपीलार्थी से यह आग्रह किया जाता है कि मजदूरी भुगतान अधिनियम ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की धारा 1 (3) (बी) द्वारा अनुध्यात अधिनियम नहीं है। मजदूरी भुगतान अधिनियम, यह

यह इंगित किया जाता है कि यह एक केंद्रीय अधिनियम है और कहा जाता है कि धारा 1 (3) (बी) राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानून को संदर्भित करती है। हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। धारा 1 (3) (बी) "किसी राज्य में दुकानों और प्रतिष्ठानों के संबंध में कुछ समय के लिए लागू किसी भी कानून" की बात करती है। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि पंजाब राज्य में मजदूरी भुगतान अधिनियम लागू है। फिर, यह प्रस्तुत किया जाता है कि मजदूरी भुगतान अधिनियम "दुकानों और प्रतिष्ठानों" के संबंध में कोई कानून नहीं है। इस संबंध में, मजदूरी भुगतान अधिनियम एक कानून है, जो भले ही दुकानों से संबंधित न हो, लेकिन प्रतिष्ठानों के एक वर्ग, अर्थात औद्योगिक प्रतिष्ठानों से संबंधित है। लेकिन यह तर्क दिया जाता है कि धारा 1 (3) (बी) के तहत निर्दिष्ट कानून एक ऐसा कानून होना चाहिए जो दुकानों और दुकानों दोनों से संबंधित हो।

पंजाब दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 जैसे प्रतिष्ठान। उस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है क्योंकि धारा 1 (3) (बी) में "कानून" अभिव्यक्ति के अर्थ को सीमित करने के लिए कोई वारंट नहीं है। द.

अभिव्यक्ति अपने दायरे में व्यापक है, और इसका अर्थ [2022] 5 एस. सी. आर. हो सकता है।

दुकानों के संबंध में कानून के साथ-साथ, अलग से, एक कानून

प्रतिष्ठानों के संबंध में, या दुकानों के संबंध में एक कानून और

वाणिज्यिक प्रतिष्ठान। धारा 1 (3) (बी) का इरादा था एक एकल अधिनियम का उल्लेख करने के लिए, निश्चित रूप से अपीलार्थी

इस तरह के एक क़ानून को इंगित करने में सक्षम हैं, अर्थात, ए

वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक। पंजाब की दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम सभी प्रकार से संबंधित नहीं है।

प्रतिष्ठानों से। दुकानों के अलावा, यह वाणिज्यिक से संबंधित है। अकेले प्रतिष्ठान। अगर संसद का इरादा होता,

धारा 1 (3) (बी) को अधिनियमित करते समय, संबंधित कानून को संदर्भित करने के लिए

वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, यह नहीं छोड़ा होगा अभिव्यक्ति "प्रतिष्ठान" अयोग्य। हम सावधानी से

उपदान के भुगतान के विभिन्न प्रावधानों की जांच की गई

अधिनियम, और हम देने के लिए किसी भी कारण को समझने में असमर्थ हैं

हमारी ओर से आग्रह की गई धारा 1 (3) (बी) का सीमित अर्थ अपीलार्थी का। धारा 1 (3) (बी) प्रत्येक पर लागू होती है

उस समय के लिए किसी भी कानून के अर्थ के भीतर स्थापना

मजदूरी भुगतान अधिनियम की धारा 2 (ii) (छ) का अर्थ। तदनुसार, हमारी राय है कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम

एक ऐसे प्रतिष्ठान पर लागू होता है जिसमें संबंधित कोई भी कार्य भवनों, सड़कों का निर्माण, विकास या रखरखाव,

पुल या नहर, या संबंधित संचालन से संबंधित

नौवहन, सिंचाई या पानी की आपूर्ति, या संबंधित

बिजली या किसी अन्य का उत्पादन, संचरण और वितरण

शक्ति का रूप चलाया जा रहा है। द हाइडल अपर बारी दोआब

निर्माण परियोजना एक ऐसा प्रतिष्ठान है, और भुगतान

इस पर ग्रेच्युटी अधिनियम लागू होता है।

(जोर दिया गया)

अतः खंड (ख) द्वारा परिकल्पित 'प्रतिष्ठान' हो सकते हैं -

उस समय लागू किसी भी कानून के अर्थ के भीतर किश्त

ई प्रतिष्ठानों के संबंध में। इसलिए मैंने कानूनों की जांच की है।

गुजरात राज्य में लागू प्रतिष्ठानों को छूट।

25. मैं अनुबंध श्रम (विनियमन) के प्रावधानों का उल्लेख कर सकता हूं।

बोली) अधिनियम, 1970 (संक्षेप में "अनुबंध श्रम अधिनियम")। प्रतिष्ठानों को धारा 2 के खंड (ई) में परिभाषित किया गया है जो इस प्रकार हैः

" ((ङ) "स्थापना" का अर्थ है

या -

((ii) कोई भी स्थान जहाँ कोई उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, निर्माण या व्यवसाय किया जाता है।

संविदा श्रम अधिनियम प्रतिष्ठानों पर इस प्रकार लागू होता है -

धारा 1 की उप-धारा (4) (ए) में उपबंध। धारा 1 की उप-धारा (2) को ध्यान में रखते हुए, अनुबंध श्रम अधिनियम गुजरात राज्य में लागू होता है। इसलिए, यह गुजरात राज्य में प्रतिष्ठानों के संबंध में कानून है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, उक्त नियमों के तहत अब ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. का चयन और नियुक्तियां गुजरात सरकार द्वारा की जा रही हैं। उक्त सरकार के एक अधिकारी को ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. की नियुक्ति को समाप्त करने का आदेश जारी करने का अधिकार है। जैसा कि पहले कहा गया है, आंगनवाड़ी केंद्र सरकार की एक विस्तारित शाखा बन गए हैं। अब, यह एक प्रतिष्ठान या सरकार की एक शाखा के रूप में काम करता है। ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. को पारिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। हालांकि, राज्य सरकार को केंद्र सरकार से योगदान मिलता है। इसके अलावा, यह हमेशा कहा जा सकता है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के प्रतिष्ठानों में व्यवसाय किया जाता है। इसलिए, आंगनवाड़ी केंद्र अनुबंध श्रम अधिनियम की धारा 2 के खंड (ई) के अर्थ के भीतर एक प्रतिष्ठान है।

26. मजदूरी संहिता, 2019 एक अधिनियम है जिसे 8 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। लेकिन केवल कुछ ही

उनमें प्रावधान अब तक लागू किए जा चुके हैं। इसकी धारा 2 का खंड (एम) स्थापना को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है कोई भी स्थान जहां

कोई भी उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, निर्माण या व्यवसाय किया जाता है और इसमें सरकारी प्रतिष्ठान शामिल होते हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 2 के खंड 29 के तहत स्थापना की एक समान परिभाषा है, जिसे 28 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। ये प्रावधान कल्याणकारी कानूनों में प्रतिष्ठानों की श्रेणी में विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों को शामिल करने के विधायी इरादे को दर्शाते हैं।

27. यह राज्य सरकार का मामला नहीं है कि हर आंगनवाड़ी

केंद्र एक अलग इकाई है। आंगनवाड़ी केंद्र और छोटी आंगनवाड़ी केंद्र राज्य के आंगनवाड़ी प्रतिष्ठान का एक हिस्सा हैं।

सरकार। आंगनवाड़ी केंद्र राज्य में दस या अधिक ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. एस. और ए. डब्ल्यू. एच. को रोजगार दे रहे हैं। इसलिए, मुझे कोई संदेह नहीं है [2022] 5 एस. सी. आर.

कि आंगनवाड़ी केंद्र 1972 के अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (3) के खंड (बी) द्वारा अनुध्यात प्रतिष्ठान हैं। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने बैंगलोर टर्फ क्लब (ऊपर) में इस न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया। यह कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 से उत्पन्न एक मामला था। उक्त अधिनियम "स्थापना" को परिभाषित नहीं करता है। इस मामले में फैसले की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

28. 1972 के अधिनियम की धारा 2 के खंड (ई), (एफ) और (एस) जो 'कर्मचारी', 'नियोक्ता' और 'मजदूरी' को परिभाषित करते हैं, प्रासंगिक हैं। वही पढ़ा।

इस प्रकारः

उपदान का भुगतान;
(च) "नियोक्ता" से किसी प्रतिष्ठान, कारखाने, खदान, तेल क्षेत्र, बागान, बंदरगाह, रेलवे कंपनी या दुकान के संबंध में तात्पर्य हैः -

((i) केंद्र सरकार से संबंधित या उसके नियंत्रण में या राज्य सरकार, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति या प्राधिकरण

कर्मचारी, या जहाँ किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को इस प्रकार नियुक्त नहीं किया गया है,

संबंधित मंत्रालय या विभाग का प्रमुख,

((ii) किसी स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित या उसके नियंत्रण में, कर्मचारियों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए ऐसे प्राधिकरण द्वारा नियुक्त व्यक्ति या जहां किसी व्यक्ति को इस तरह से नियुक्त नहीं किया गया है, वहां प्रमुख

स्थानीय प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी।

((ग) किसी अन्य मामले में, वह व्यक्ति, जिसका या वह प्राधिकारी जिसका प्रतिष्ठान, कारखाना, खदान, तेल क्षेत्र, बागान, बंदरगाह, रेलवे कंपनी या दुकान के मामलों पर अंतिम नियंत्रण है, और जहां उक्त कार्य किसी अन्य व्यक्ति को सौंपे गए हैं, चाहे वह प्रबंधक हो या प्रबंध निदेशक या किसी अन्य नाम से, ऐसा व्यक्ति; ((ङ)
"मजदूरी" से वे सभी पारिश्रमिक अभिप्रेत हैं जो किसी कर्मचारी द्वारा कर्तव्य पर रहते हुए या छुट्टी पर रहते हुए अर्जित किए जाते हैं।

जिला विकास अधिकारी दाहोद [अभय एस. ओका, जे.]

और उसके रोजगार की शर्तें और जो भुगतान की जाती हैं या देय होती हैं उसे नकद में और इसमें महँगाई भत्ता शामिल है लेकिन इसमें कोई बोनस, कमीशन, घर का किराया भत्ता, ओवरटाइम मजदूरी और कोई अन्य भत्ता शामिल नहीं है।

29. 'मजदूरी' की परिभाषा बहुत व्यापक है। इसका अर्थ है सभी परिलब्धि जो ड्यूटी पर एक कर्मचारी द्वारा अर्जित की जाती हैं। इस प्रकार, भुगतान किया गया मानदेय

ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. एस. और ए. डब्ल्यू. एच. को भी मजदूरी की परिभाषा के तहत शामिल किया जाएगा। चूंकि ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. एस. और ए. डब्ल्यू. एच. को राज्य सरकार द्वारा उन प्रतिष्ठानों में मजदूरी के लिए नियोजित किया जाता है, जिन पर 1972 का अधिनियम लागू होता है, ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. एस. और ए. डब्ल्यू. एच. 1972 के अधिनियम के अर्थ के भीतर कर्मचारी हैं। उक्त को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार के नियम, आंगनवाड़ी केंद्र केंद्र सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं। इसलिए, राज्य सरकार 1972 के अधिनियम की धारा 2 के खंड (ए) के अर्थ के भीतर एक उपयुक्त सरकार होगी। तदनुसार, एक व्यक्ति या प्राधिकारी नियुक्त किया गया

ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. एस. और ए. डब्ल्यू. एच. के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा धारा 2 के खंड (एफ) के अर्थ के भीतर नियोक्ता होगा।

30. मैं यहां यह भी बता सकता हूं कि भारत सरकार ने 3 अप्रैल 1997 की एक अधिसूचना द्वारा शैक्षणिक संस्थानों को प्रतिष्ठानों के रूप में अधिसूचित किया है

1972 के अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (3) के खंड (सी) के तहत। आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्री-स्कूल चलाने की गतिविधि चलाई जा रही है। यह विशुद्ध रूप से एक शैक्षिक गतिविधि है। अध्यापन का काम ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों में प्री-स्कूल चला रही है।

आर. टी. ई. अधिनियम की धारा 11 के अनुसार। 31. ऊपर दर्ज कारणों से, मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि 1972 का अधिनियम आंगनवाड़ी केंद्रों और उसके बदले में ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. पर लागू होगा।

और AWHs। विवादित निर्णय में, खंड पीठ अमीरबी के मामले में इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से प्रभावित थी, जिसके बाद अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कामगार संघ (विनियमित) (उपर्युक्त) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने लिया था। इन निर्णयों का, पहले दर्ज किए गए कारणों से, इन अपीलों में शामिल मुद्दे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विद्वान एकल न्यायाधीश का यह मानना सही था कि 1972 का अधिनियम ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. एस. और ए. डब्ल्यू. एच. पर लागू था। नियंत्रण प्राधिकरण ने

अतिदेय उपदान पर 10 प्रतिशत की दर से सरल ब्याज दिया जाता है।

राशि। सभी पात्र ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. ब्याज के लाभ के हकदार होंगे।

32. इसलिए, मैं अपीलों को स्वीकार करता हूं और गुजरात उच्च न्यायालय की खंड पीठ के 8 अगस्त 2017 के विवादित फैसले को दरकिनार करता हूं और

6 जून 2016 को विशेष सिविल आवेदन संख्या में विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को बहाल करें। 1219 वर्ष 2016 और इससे जुड़े अन्य मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया कि 1972 के अधिनियम के प्रावधान आंगनवाड़ी केंद्रों में काम करने वाले ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. पर लागू होते हैं। आज से तीन महीने की अवधि के भीतर संबंधित अधिकारियों द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

1972 के अधिनियम के तहत गुजरात राज्य ने पात्र ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. को उक्त अधिनियम का लाभ दिया। हम निर्देश देते हैं कि सभी पात्र ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. एस. 1972 के अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा 3 ए के तहत निर्दिष्ट तिथि से प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज के हकदार होंगे।

अजय रस्तोगी, जे।

1. मुझे लिखे गए फैसले को देखने का लाभ मिला है।

मेरे भाई अभय एस. ओका, जे. द्वारा लिखित तर्क की उल्लेखनीय प्रक्रिया के आधार पर मेरे विद्वान भाई ने जो निष्कर्ष निकाले हैं, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। मैं कुछ पंक्तियाँ जोड़ना चाहता हूँ और अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि निर्णय के लिए और अधिक विस्तार की आवश्यकता है, बल्कि उस कानून के प्रश्न की तलाश करना चाहता हूँ जो काफी महत्वपूर्ण है।

2. विवादास्पद प्रश्न जो तत्काल अपीलों में उठाया गया है

क्योंकि हमारे विचार के लिए वास्तव में एक ऐसा प्रश्न है जो न केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों के रूप में काम करने वाले प्रतियोगी अपीलार्थियों के अधिकारों को निर्धारित कर सकता है जो समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

ग्रासरूट

महिला और बाल विकास मंत्रालय की विस्तारित शाखाओं में से एक आई. सी. डी. एस. योजना का रोल मॉडल है समय दिए जाने पर, यह विधानमंडल को इस बात पर विचार करने के लिए एक विचार प्रक्रिया भी दे सकता है कि क्या ग्रैच्युटी की प्रयोज्यता एक सामाजिक सुरक्षा उपाय होने के नाते, उन कर्मचारियों के लिए विस्तारित की जाए जिन्होंने किसी संस्थान में सेवा की है।

संगठित या असंगठित क्षेत्र और किसी न किसी तरह से राष्ट्र के सतत विकास में योगदान देना।

3. संगठित/में काम करने वाले व्यक्तियों की बड़ी संख्या को देखते हुए

असंगठित क्षेत्र समय के साथ, इस सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कानून पेश किए गए हैं, जिन्हें दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात्, अंशदायी और गैर-अंशदायी। अंशदायी कानून वे हैं जो कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा भुगतान किए गए योगदान द्वारा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए प्रदान करते हैं और कुछ मामलों में योगदान/अनुदान द्वारा पूरक होते हैं।

जिला विकास अधिकारी दाहोद [अजय रस्तोगी, जे.]

सरकार की ओर से। साथ ही, हमारे पास कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 और ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 जैसे प्रमुख गैर-अंशदायी कानून हैं, जिनसे हम वर्तमान में संबंधित हैं।

कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करने और सामाजिक सहायता के संबंध में, लाभार्थियों को अधिकार के रूप में लाभ प्राप्त होते हैं, लेकिन उन्हें कोई योगदान नहीं करना पड़ता है और इसका समर्थन करने के लिए, राज्य या राज्य/केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए स्रोत द्वारा वित्त उपलब्ध कराया जाता है। 5. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 (इसके बाद "अधिनियम, 1972" के रूप में संदर्भित) के अधिनियमन से पहले, ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए दो राज्य कानून थे। ये केरल औद्योगिक थे।

कर्मचारी उपदान भुगतान अधिनियम, 1970 और पश्चिम बंगाल

आम सहमति बनी और केंद्रीय विधान को ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के रूप में अधिनियमित किया गया, जिसे 16 सितंबर, 1972 को लागू किया गया था। 6. जब हम अधिनियम 1972 के अधिदेश के बारे में बात करते हैं, यदि कोई योजना को समग्र रूप से देखता है, तो ग्रैच्युटी एक अच्छी, कुशल और वफादार सेवा के लिए एक पुरस्कार है जो काफी अवधि के लिए प्रदान की जाती है और जो कर्मचारी 5 साल या उससे अधिक समय तक निरंतर सेवा में रहता है।

अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/असामयिक मृत्यु गणना के संदर्भ में उपदान का दावा करने के लिए योग्य हो जाती है जैसा कि अधिनियम, 1972 की धारा 4 की उप-धारा (2) के तहत प्रदान किया गया है, जिसमें संगठित/असंगठित श्रमिकों/कर्मचारियों का बड़ा क्षेत्र शामिल है जो धारा 1 (3) (ए) के तहत आने वाले प्रतिष्ठानों के विभिन्न वर्गों में कार्यरत और अधिनियम 1972 की धारा 1 (3) (सी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित भी। प्रतिष्ठानों के तहत काम करने वाले ऐसे कर्मचारी

धारा 1 (3) (ए), (बी) और (सी) के तहत निर्दिष्ट, जैसा भी मामला हो, अधिनियम की धारा 4 के संदर्भ में उपदान के भुगतान का दावा करने के लिए पात्र होंगे। 1972 और जहाँ तक अधिनियम 1972 की धारा 2 (ओं) के तहत परिभाषित 'मजदूरी' शब्द का संबंध है, यह केवल गणना [2022] 5 एस. सी. आर. के उद्देश्य के लिए प्रतीत होता है।

अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के तहत मान्यता प्राप्त है और उनके अलावा किसी भी परिस्थिति में ट्यूटी को रोकने की अनुमति नहीं है।

अधिनियम, 1972 की धारा 4 की उप-धारा (6) के तहत निरस्त किया गया। धारा 2 (ई) के तहत परिभाषित ओवाईई को धारा के तहत आने वाले प्रतिष्ठान में काम करते समय ग्रैच्युटी का दावा करने का अधिकार है।1972 का अधिनियम। अधिनियम, 1972 की धारा 1 (3) और 2 (ई) और 2 (एस) प्रासंगिक हैं।

ई उद्देश्य को निम्नानुसार संदर्भित किया गया है:

" 1 (3) यह इन पर लागू होगा -

(क) प्रत्येक कारखाना, खदान, तेल क्षेत्र, बागान, बंदरगाह और रेलवे

कंपनी;

(ख) किसी राज्य में दुकानों और प्रतिष्ठानों के संबंध में किसी भी कानून के अर्थ के भीतर प्रत्येक दुकान या प्रतिष्ठान।

राज्य, जिसमें दस या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं, या थे

पिछले बारह महीनों के किसी भी दिन कार्यरत;

(ग) ऐसे अन्य प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों का वर्ग, जिसमें दस या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, या कार्यरत थे, या, पिछले बारह महीनों के किसी भी दिन, केंद्र सरकार के रूप में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

2. परिभाषाएँ। – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, (ङ) "कर्मचारी" से कोई भी व्यक्ति (प्रशिक्षु के अलावा) अभिप्रेत है जो मजदूरी के लिए नियोजित है, चाहे ऐसी नियुक्ति की शर्तें हों।

अधिनियम लागू होता है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के तहत एक पद रखता है और किसी अन्य अधिनियम या उपदान के भुगतान के लिए प्रदान किए गए किसी भी नियम द्वारा शासित है। ((ङ) "मजदूरी" से वे सभी पारिश्रमिक अभिप्रेत हैं जो किसी कर्मचारी द्वारा अपने कार्य के नियमों और शर्तों के अनुसार ड्यूटी पर या छुट्टी पर रहते हुए अर्जित किए जाते हैं और जो उसे नकद में दिए जाते हैं या देय होते हैं और इसमें महँगाई भत्ता शामिल है लेकिन इसमें कोई बोनस, कमीशन, घर का किराया भत्ता, ओवरटाइम मजदूरी और कोई अन्य भत्ता शामिल नहीं है। मणिबेन मगनभाई भारिया बनाम।

जिला विकास अधिकारी दाहोद [अजय रस्तोगी, जे.]

7. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, आदि जैसे कानूनों की शैली पर अधिनियम, 1972 कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक कल्याणकारी उपाय है ताकि वृद्धावस्था में उनकी सहायता की जा सके और सेवानिवृत्ति पर उन्हें जीवन का एक अच्छा मानक सुनिश्चित किया जा सके।

8. लैटिन शब्द 'ग्रेच्युइटस' से व्युत्पन्न, ग्रैच्युटी शब्द का अर्थ है

एक 'उपहार'। औद्योगिक क्षेत्र में, उपदान को नियोक्ताओं द्वारा अपने कर्मचारियों को उपहार के रूप में माना जाता है। ग्रेच्युटी एक नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उसकी पिछली समर्पित सेवाओं के लिए भुगतान की जाने वाली एकमुश्त राशि है। यह बेहतरी की दिशा में किसी व्यक्ति के प्रयासों की सराहना करने का एक संकेत है,

9. इस प्रकार, सामाजिक कल्याण कानून के रूप में, वैध प्रावधानों को पूरा करने के लिए ग्रेच्युटी का प्रभावी कार्यान्वयन सर्वोपरि है। कर्मचारियों की अपेक्षाएँ। जहाँ तक असंगठित क्षेत्रों का संबंध है, ये अधिनियम सामाजिक सुरक्षा के स्तंभ रहे हैं और कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार की नींव रखी है।

10. 1972 का अधिनियम मजदूरी अर्जित करने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कानून है।

उद्योगों, कारखानों और प्रतिष्ठानों आदि में जनसंख्या। इसलिए, निजी क्षेत्र में लगे कर्मचारियों के मामले में भी मुद्रास्फीति और वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने निर्णय लिया कि अधिनियम, 1972 के तहत आने वाले कर्मचारियों के संबंध में उपदान की पात्रता को संशोधित किया जाना चाहिए और तदनुसार, सरकार ने अधिनियम, 1972 में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की ताकि उपदान की अधिकतम सीमा को उस राशि तक बढ़ाया जा सके जिसे केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सके।

11. यह वास्तव में कर्मचारियों के बीच सामंजस्य सुनिश्चित करेगा।

निजी क्षेत्र और सरकार के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों में जो सी. सी. एस. के अंतर्गत नहीं आते हैं

(पेंशन) नियम। ये कर्मचारी ग्रेच्युटी की अधिक राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे जो सरकारी क्षेत्र में उनके समकक्षों के बराबर नहीं हो सकती है।

12. यही कारण प्रतीत होता है कि वर्ष 2007 में "कर्मचारी" शब्द की परिभाषा को व्यापक बनाने और मजदूरी या किसी भी प्रकार के काम या कारखाने, खदान, तेल क्षेत्र, बागान, बंदरगाह, रेलवे कंपनी, दुकान या किसी अन्य प्रतिष्ठान के काम के संबंध में कार्यरत विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम करने वाले बड़ी संख्या में कर्मचारियों को इसके दायरे में लाने के लिए संशोधन किए गए हैं। बाद में भी

अधिसूचना के अनुसार, शिक्षकों को भी उपदान का दावा करने के लिए पात्र ठहराया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

13. जब सामाजिक सुरक्षा कानूनों की व्याख्या की जा रही होती है, तो इसे हमेशा एक लाभकारी व्याख्या के साथ उदारता से व्याख्या की जानी चाहिए और इसे व्यापक संभव अर्थ दिया जाना चाहिए, जिसे भाषा अनुमति देती है, जिसे लाभकारी व्याख्या के रूप में जाना जाता है। जब एक क़ानून के लिए अभिप्रेत है किसी विशेष वर्ग का लाभ और यदि कानून में एक शब्द दो अर्थों में सक्षम है, अर्थात एक जो लाभों को संरक्षित करेगा और एक जो नहीं करेगा, तो पहले वाले को अपनाया जाना चाहिए।

14. लाभप्रद निर्माण पर मैक्सवेल निम्नलिखित मानते हैं:

" कानून के निर्माण से शब्दों पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि इसमें भाषा के प्राकृतिक अर्थ से स्पष्ट रूप से हटाए गए मामले शामिल होने चाहिए। फिर भी, जहां शब्दों का सामान्य अर्थ विधायिका के उद्देश्य से कम है, वहां भी उनके लिए अधिक विस्तारित अर्थ का श्रेय दिया जाएगा यदि वे इसके प्रति काफी संवेदनशील हैं। व्याख्या के कड़ाई से शाब्दिक नियम में ढील को लाभकारी निर्माण के रूप में जाना जाता है।

15. इस न्यायालय को रचनात्मक और कल्याणकारी कानूनों के बारे में विस्तार से चर्चा करने का अवसर मिला। भारतीय स्टेट बैंक बनाम श्री एन. सुंदरा मनी 1 के फैसले के बाद बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम ए. राजप्पा और अन्य 2; संत राम बनाम राजिंदर लाल और अन्य 3 और बाद में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य बनाम नेशनल यूनियन वाटरफ्रंट में संविधान पीठ ने फैसला सुनाया।

श्रमिक और अन्य इस विषय पर कानून की व्याख्या करते हैं।

16. जब हम व्याख्या करते समय न्यायिक उदाहरणों की जांच करते हैं

1972 के अधिनियम के अनुसार, हम पंजाब राज्य बनाम श्रम न्यायालय, जुलूदुर और अन्य में इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का सामना करते हैं। निजी प्राथमिक शिक्षक संघ बनाम। प्रशासनिक अधिकारी और अन्य; जया बच्चन बनाम भारत संघ और अन्य; कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम अमीरबी और अन्य और बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान बनाम झारखंड राज्य और अन्य 'अलग संदर्भ में हो सकते हैं।

1 1976 (1) एस. सी. सी. 822 2 1978 (2) एस. सी. सी. 213 31979 (2) एस. सी. सी. 274 42001 (7) एस. सी. सी. 1 5 1980 (1) एस. सी. सी. 4 62004 (1) एस. सी. सी. 755 72006 (5) एस. सी. सी. 266 82007 (11) एस. सी. सी. 681 9 2019 (4) एस. सी. सी. 513 मनीबेन मगनभाई भार्या बनाम।

जिला विकास अधिकारी दाहोद [अजय रस्तोगी, जे.]

17. तत्काल मामलों के तथ्यों की ओर बढ़ते हुए, यह प्रकट होता है

अभिलेख से कि पाँच अपीलार्थी 1982-1985 अवधि के बीच आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायक के रूप में शामिल हुए और 21-31 वर्षों तक सेवा की और फरवरी 2006 और फरवरी 2012 के बीच सेवानिवृत्त हुए। जब उन्हें उपदान का भुगतान नहीं किया गया, तो उनमें से प्रत्येक ने निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष अपने आवेदन दायर किए। प्रत्येक के दावे पर ध्यान देने के बाद

अपीलार्थी, निर्धारित प्राधिकारी ने एक निर्देश के साथ उनके पक्ष में निर्णय लिया उत्तरदाताओं को प्रक्रिया के संदर्भ में उपदान का भुगतान करने के लिए

अधिनियम 1972 की धारा 4 के तहत निर्दिष्ट गणना। अधिनियम, 1972 के तहत निर्धारित प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि अपीलीय प्राधिकरण और उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 6 जून, 2016 के फैसले के माध्यम से की गई, लेकिन विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा वापस किए गए निष्कर्ष को मुख्य रूप से अमीरबी (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए विवादित फैसले के तहत उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा उलट दिया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों में सेवा देने वाले प्रत्येक अपीलार्थी का विवरण नीचे दिया गया है:

तिथि

की संख्या

तिथि

राशि

निर्देशित किया गया

में से

सेवानिवृत्ति

वर्षों का

भु

गतान किया जाए।

जुड़ रहे हैं।

सेवा

की

ओर

ग्रै

च्युटी

R

s.20,913 /

एससीए

1982

27.02.2011 29

1219/2016

19.01.1984 | 30.04.2011 | 27

एससीए

R

s.38,942 /

1220/2016 एससीए

03.08.1983 | 30.04.2006 | 23

R

s.13,269 /

1221/2016

R

s.22,356 /

एससीए

16.04.1981 29.02.2012 31

1222/2016

03.06.1989 | 20.02.2006 21

R

s.15,144 /

एससीए 1223/2016

18. इस न्यायालय ने एक न्यायिक नोटिस लिया कि पदधारी के बाद

उन्होंने 21-31 वर्षों के लिए सेवा की, लेकिन क्योंकि मजदूरी प्रासंगिक समय पर स्वीकार्य है जो रु। 1000 / - या रु. 1250 / - प्रति माह, अधिनियम 1972 के प्रावधानों के संदर्भ में ग्रेच्युटी के लिए गणना की गई राशि केवल हजारों रुपये में है।

19. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी की भूमिका

सहायक (एडब्ल्यूएच) न केवल कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में हैं, बल्कि उन्होंने (2022) 5 एस. सी. आर. भी खेला है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस समय तक उन्होंने अपनी 47 साल की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है और अपनी जड़ें जमा ली हैं। रिकॉर्ड से पता चलता है कि आई. सी. डी. एस. प्रारंभिक बाल देखभाल और विकास के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार 158 मिलियन से अधिक बच्चे और देश में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं शामिल हैं। अगर हम जून 2018 के आंकड़ों के अनुसार देखें, तो पूरे देश में 13.6 लाख कार्यरत आंगनवाड़ी केंद्र थे। देश के जिलों में। इन जिलों में अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी हैंः एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एक आंगनवाड़ी सहायक। इनमें से अधिकांश केंद्र कठिन इलाकों में स्थित हैं और इन महिलाओं को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए हर दिन किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। महामारी में, इन श्रमिकों ने घर पर अतिरिक्त कर्तव्य लिया- आईसीडीएस लाभार्थियों को राशन पहुँचाना और ग्रामीण लोगों को कोरोनावायरस के बारे में क्या करें और क्या न करें के बारे में शिक्षित करना और गाँवों में आने वाले बाहरी लोगों की एक सूची तैयार करना।

20. आईसीडीएस योजना केवल एक कल्याणकारी योजना नहीं है, बल्कि छह साल से कम उम्र के बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने का एक साधन है-जिसमें पोषण, स्वास्थ्य और आनंदपूर्ण शिक्षा का अधिकार और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के अधिकार शामिल हैं। बच्चों का अस्तित्व, कल्याण और अधिकार पूरे समुदाय के हित के सामाजिक मुद्दे बन जाते हैं, न कि केवल संबंधित परिवारों की माताओं के लिए। सामाजिक बाल देखभाल "महिलाओं की मुक्ति में भी योगदान देती हैः यह बच्चों की देखभाल के बोझ को हल्का करता है, महिलाओं के लिए पारिश्रमिक रोजगार का एक संभावित स्रोत प्रदान करता है और उन्हें एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। महिला संगठनों के निर्माण का अवसर। सामाजिक प्रगति में बाल देखभाल के इन समृद्ध योगदानों के आलोक में, आई. सी. डी. एस. सार्वजनिक नीति में कहीं अधिक ध्यान देने योग्य है क्योंकि आई. सी. डी. एस. बाल और महिला अधिकारों की प्राप्ति के लिए एक संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करता है। फिर भी इन सेवाओं को लागू करने योग्य अधिकारों के बजाय राज्य की उदारता माना जाता है।

21. अगर हम इस मामले पर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाएँ, तो इस क्षेत्र के लाखों बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और विकास के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करें।

देश, बच्चों के लिए स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं एक अच्छा निवेश है। अध्ययन इंगित करता है कि बच्चे के पोषण में वापसी काफी अधिक है, या

इस देश में कम से कम काफी अधिक हो सकता है। इस प्रकार, आई. सी. डी. एस. महिला और बाल विकास मंत्रालय की एक विस्तारित शाखा है और इसकी प्रकृति

आम आदमी को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को कानून द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए।

मणिबेन मगनभाई भारिया बनाम। जिला विकास अधिकारी दाहोद [अजय रस्तोगी, जे.]

22. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2005-06) बताता है कि पांच साल से कम उम्र के 48 प्रतिशत बच्चे अविकसित हैं और 43 प्रतिशत का वजन कम है। उनकी उम्र। बच्चे के इष्टतम विकास के लिए जीवन के शुरुआती वर्षों के महत्व के बारे में मनोवैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, बाल रोग विशेषज्ञों और समाजशास्त्रियों के बीच दुनिया भर में आम सहमति है। प्रारंभिक बचपन उल्लेखनीय मस्तिष्क विकास का समय है जो बाद में सीखने की नींव रखता है और इस स्तर पर होने वाली कोई भी क्षति या गरीबी अपूरणीय होने की संभावना है। ये अत्यधिक असुरक्षा और जबरदस्त क्षमता के वर्ष हैं जिनके दौरान पर्याप्त सुरक्षा, देखभाल और

बच्चे की भलाई और विकास की नींव प्रदान करने के लिए उत्तेजना आवश्यक है। पर्याप्त पोषण और उचित देखभाल की कमी के अपरिवर्तनीय परिणाम होते हैं। खराब पोषण का विद्यालय में नामांकन और तैयारी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुपोषित बच्चों के स्कूल में दाखिला लेने की संभावना कम होती है और अगर वे दाखिला लेते हैं तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। बचपन में आवश्यक पोषक तत्वों की गंभीर या दीर्घकालिक कमी भाषा, गति और व्यवहार को बाधित करती है।

सामाजिक-भावनात्मक विकास। इसके अलावा, सुरक्षित पेयजल और उचित स्वच्छता के प्रावधान का विस्तार करने से शिशु और बच्चे की संख्या में कमी आएगी।

अत्यधिक मृत्यु दर।

23. जब हम छह साल से कम उम्र के बच्चों के मौलिक अधिकारों और अधिकारों के बारे में बात करते हैं, राष्ट्रीय प्रगति के लक्ष्य को प्राप्त करने में बाल-देखभाल और विकास के महत्व को पहचानते हुए, संस्थापक माता-पिता ने बच्चों के कल्याण और विकास से संबंधित कई प्रावधानों को लागू किया, विशेष रूप से संविधान के भाग III और IV में। राज्य नीति के मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों ने बाल कल्याण, शिक्षा और विकास से संबंधित सभी कानूनों को प्रेरणा प्रदान की है।

24. अनुच्छेद 15 (3) महिलाओं और बच्चों के लिए सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान करता है और इसका बहुत महत्व है जिसके तहत कई लाभकारी कानून हैं।

और कार्यक्रम पारित किए गए हैं। इस न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत समय के साथ विकसित न्यायशास्त्र प्रारंभिक बाल विकास के प्राथमिक महत्व को रेखांकित करता है। भोजन, पोषण और स्वास्थ्य के अधिकार को न्यायिक रूप से अभिन्न अंग के रूप में तैयार किया गया है

जीवन के अधिकार का, जिसका एक बच्चे सहित प्रत्येक नागरिक हकदार है। यह दृष्टिकोण अपना रहा है कि 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा के अधिकार को इस न्यायालय द्वारा उन्नी कृष्णन जे. पी. मामले में अनुच्छेद 21 में पढ़ा गया था और

25. इस न्यायालय ने इस तरह का अधिकार बनाते समय एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि जीवन के अधिकार को राज्य नीतियों के निदेशक सिद्धांतों के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए। अनुच्छेद 41,45 और 46, अंततः, छह साल से कम उम्र के बच्चों की जरूरतों की विशिष्टता देते हैं, और सकारात्मक होने का मूल्य देते हैं।

बच्चे को पूर्ण विकास का अधिकार सुनिश्चित करने का अधिकार, अनुच्छेद 21-ए को संविधान में 86 वें संशोधन अधिनियम, 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था, जिसमें छह से चौदह वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की मौलिकता को मान्यता दी गई थी। यद्यपि 86 वाँ संशोधन राज्य नीति का एक निदेशक सिद्धांत लाया, जिसे अब तक नजरअंदाज किया गया था, संविधान के भाग III के दायरे में, इसने छह साल से कम उम्र के बच्चों को बाहर रखा, इस प्रकार उन्हें उचित विकास और विकास के लिए शिक्षा से वंचित कर दिया।

26. जब हम राष्ट्रीय विकास की बात करते हैं तो उनकी चिंताएँ होती हैं -

संविधान के अनुच्छेद 39 (ई) और (एफ) के अधिनियमन में काफी हद तक परिलक्षित होता है। ये दोनों प्रावधान बच्चों सहित अपने नागरिकों की स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षा प्रदान करते हैं। जबकि अनुच्छेद 39 (ई) में कहा गया है कि राज्य अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा कि "श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति और बच्चों की कम उम्र का दुरुपयोग न हो" और "नागरिक आर्थिक आवश्यकता से अपनी उम्र या शक्ति के अनुपयुक्त व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए मजबूर न हों"। साथ ही, अनुच्छेद 39 (च) राज्य से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा करता है कि "बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और गरिमा की स्थितियों में विकास करने के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और यह कि बचपन और युवाओं को शोषण से और नैतिक और भौतिक परित्याग से संरक्षित किया जाए।"

27. अनुच्छेद 45 में प्रावधान है कि "राज्य सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा जब तक कि वे पूरा नहीं हो जाते।

छह साल की उम्र। यह प्रावधान प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा के अधिकार को एक स्पष्ट संवैधानिक उद्देश्य बनाता है, जिसका समर्थन अक्टूबर 2010 में बाद में किए गए अधिनियम, यानी बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आर. टी. ई.) द्वारा किया जा सकता है, जिसे तीन साल से अधिक उम्र के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करने और सभी बच्चों को छह साल की उम्र पूरी होने तक प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से पेश किया गया था।

उपयुक्त सरकार ऐसे बच्चों के लिए निःशुल्क पूर्व-विद्यालय शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकती है। 28. स्वास्थ्य और पोषण अन्य क्षेत्र हैं जो छोटे बच्चे के लिए भी प्राथमिक क्षेत्र हैं। वास्तव में पोषण और स्वास्थ्य सेवा का अधिकार

यह बच्चों का सबसे बुनियादी और मौलिक अधिकार है।

मणिबेन मगनभाई भारिया बनाम की अनुपस्थिति। जिला विकास अधिकारी दाहोद [अजय रस्तोगी, जे.]

कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार विशेष रूप से छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उपेक्षा और भेदभाव के प्रति अधिक संवेदनशील बनाते हैं।

29. साथ ही, स्वास्थ्य, विशेष रूप से माँ के प्रजनन स्वास्थ्य और शिशु के स्वास्थ्य का निकट संबंध है।

इस घनिष्ठ संबंध को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने पी. यू. सी. एल. द्वारा दायर एक याचिका (जिसे भोजन के अधिकार के लिए याचिका के रूप में जाना जाता है) में केंद्र और राज्य सरकार को आई. सी. डी. एस. सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार ठहराया।

पूरक पोषण, पोषण और स्वास्थ्य, शिक्षा आदि न केवल छह साल से कम उम्र के प्रत्येक बच्चे के लिए बल्कि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए भी-माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के बाध्यकारी संबंध का स्पष्ट समर्थन।

30. गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माँ की विशेष जरूरतों और बच्चे के स्वास्थ्य के साथ इसके संबंध को पहचानना, जिसे स्वीकार किया गया है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 4 के तहत मान्यता प्राप्त है, जिसमें ऐसी महिलाओं को "गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के छह महीने बाद, स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से मुफ्त भोजन का अधिकार दिया गया है, ताकि अधिनियम की अनुसूची II में निर्दिष्ट पोषण मानकों को पूरा किया जा सके।"

31. आई. सी. डी. एस. योजना की दृष्टि जीवन यापन करने वाली महिलाओं को सशक्त बनाना है।

सुरक्षित और सुरक्षात्मक वातावरण में विकास और विकास के पूर्ण अवसरों के साथ अच्छी तरह से पोषित बच्चों के साथ हिंसा और भेदभाव से मुक्त वातावरण में विकास में समान भागीदार के रूप में योगदान करने की गरिमा।

32. आई. सी. डी. एस. की योजना का उद्देश्य और उद्देश्य इसे बढ़ावा देना है।

विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण, लैंगिक चिंताओं को मुख्यधारा में लाना, उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना और उन्हें अपने मानवाधिकारों का एहसास करने और अपनी पूरी क्षमता के साथ विकास करने में सक्षम बनाने के लिए संस्थागत और विधायी समर्थन की सुविधा प्रदान करना। दूसरा क्रॉस-कटिंग नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों का विकास, देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना और उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक बढ़ने और विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए सीखने, पोषण, संस्थागत और विधायी समर्थन तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना।

33. जब हम आगे बढ़ते हैं और आईसीडीएस योजना पर ध्यान देते हैं

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों द्वारा 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की देखभाल करके आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है, जो पहले ही देखा जा चुका है कि लगभग [2022] 5 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

158 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख बच्चे। ये बच्चे देश के भविष्य के मानव संसाधन हैं। महिला और बाल मंत्रालय विकास बच्चों के कल्याण, विकास और सुरक्षा के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रहा है।

34. आई. सी. डी. एस. योजना इसके प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है।

भारत सरकार और प्रारंभिक बाल देखभाल और विकास के लिए दुनिया के सबसे बड़े और अद्वितीय कार्यक्रमों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है। यह सबसे महत्वपूर्ण है

पूर्व-विद्यालय गैर-औपचारिक शिक्षा प्रदान करने की चुनौती के जवाब में अपने बच्चों और स्तनपान कराने वाली माताओं के प्रति देश की प्रतिबद्धता का प्रतीक

एक ओर कुपोषण, रुग्णता, सीखने की क्षमता में कमी और दूसरी ओर मृत्यु दर के दुष्चक्र को तोड़ना। इस योजना के तहत लाभार्थी 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती हैं।

महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ।

35. योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना।

उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और

बच्चे का सामाजिक विकास;

मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण की घटनाओं को कम करना।

और स्कूल छोड़ने वाले;

बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच कार्यान्वयन; और बच्चे के सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों की देखभाल करने के लिए मां की क्षमता को बढ़ाना।

उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा।

36. अगर हम सामुदायिक समर्थन और भागीदारी के संदर्भ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों की भूमिका की जांच करते हैं, तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाल पोषण को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 3,4,5,6 और 7 का एक संयुक्त अध्ययन इस तथ्य की ओर इशारा करेगा कि उपरोक्त का प्रभावी कार्यान्वयन

अधिनियम के प्रावधान काफी हद तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों आदि पर निर्भर करते हैं, जो ग्राम स्तर के कार्यकर्ता/वार्ड स्तर के कार्यकर्ता हैं और अधिनियम के तहत परिकल्पित विभिन्न सेवाओं के वितरण के लिए प्रभारी हैं।

मणिबेन मगनभाई भारिया बनाम। जिला विकास अधिकारी दाहोद [अजय रस्तोगी, जे.]

37. उनके दैनिक कार्यों में 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए पूर्व-विद्यालय गतिविधियों की जिम्मेदारी लेना, व्यवस्था करना शामिल है।

6 महीने से 6 साल की आयु वर्ग के बच्चों और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पूरक पोषण आहार, माताओं को स्वास्थ्य और पोषण की शिक्षा देना, माता-पिता को शिक्षित करने के लिए घर का दौरा करना, सामुदायिक समर्थन और भागीदारी, टीकाकरण के कार्यान्वयन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों की सहायता, अन्य के बीच।

38. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायक बच्चे के प्रमुख सहायक हैं।

जमीनी स्तर पर पोषण संबंधी पहल और सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रसार, प्रचार, जागरूकता निर्माण और कार्यान्वयन के कार्य में शामिल होना। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या समय के साथ कई गुना बढ़ गई है।

देश।

40. अगर हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों की समस्याओं की ओर देखें, तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे नागरिक अधिकारों के धारक नहीं हैं जिन पदों के कारण वे नियमित वेतन और राज्य के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध अन्य लाभों से वंचित हैं। वेतन के बजाय, उन्हें केवल एक तथाकथित 'मानदेय' (न्यूनतम से बहुत कम) मिलता है।

मजदूरी) विशिष्ट आधार पर कि वे अंशकालिक स्वैच्छिक कार्यकर्ता हैं, जो दिन में केवल लगभग 4 घंटे काम करते हैं। 41. उत्तरदाताओं को अन्य कर्मचारियों के साथ समानता से इनकार करने के लिए विद्वान वकील द्वारा दिया गया दूसरा तर्क है

कि उनका काम सामुदायिक भागीदारी का बताया गया है और उनके नाम न तो रोजगार विनिमय से प्रायोजित हैं और न ही वे आचार संहिता से बंधे हैं। सामने आई आपत्ति यह है कि पदों को बिना विज्ञापन के भरा गया है और कोई आपत्ति नहीं है।

किसी भी वैधानिक भर्ती नियमों का पालन करने की आवश्यकता।

42. यह ध्यान देने योग्य होगा कि आई. सी. डी. एस. योजना के तहत जमीनी स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों का योगदान दिया जा रहा है। भारत सरकार, महिला मंत्रालय और [2022] 5 एस. सी. आर. द्वारा अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त।

बाल विकास और पिछले कुछ वर्षों में, इसमें न केवल आंगनवाड़ी केंद्रों/कार्यकर्ताओं में तेजी से वृद्धि हुई है, बल्कि

सेवाओं के वितरण और सामुदायिक भागीदारी में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण विशिष्ट प्रयास। वास्तव में, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों की जिम्मेदारियों में जबरदस्त वृद्धि हुई है, जिसके लिए अब महत्वपूर्ण सेवाओं के वितरण, समुदाय/महिला समूहों/महिला मंडलों को शामिल करने और विभिन्न क्षेत्रीय सेवाओं के प्रभावी अभिसरण को सुनिश्चित करने के लिए कई कार्यों को करने की आवश्यकता है। आई. सी. डी. एस. के पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति को तर्कसंगत बनाने का प्रावधान किया गया है जो सरकार के तहत एक संवर्ग पद है।

43. 15 सितंबर, 2015 के नीतिगत निर्णय के प्रासंगिक भाग को निम्नानुसार संदर्भित किया गया हैः

" उपरोक्त स्थिति की समीक्षा इन क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए की गई है, ताकि उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके
उनकी योग्यता के अनुसार उच्च पदों में भाग लेना और उनके करियर की संभावनाओं में सुधार करना। पर्यवेक्षकों के पदों पर ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. की पदोन्नति और नियुक्ति पर, पहले के दिशानिर्देशों के स्थान पर, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निम्नलिखित दिशानिर्देशों के बारे में सूचित किया जाता है -

अनुपालनः

पर्यवेक्षकों के पदों में 50 प्रतिशत रिक्तियां होंगी -

((i)

ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. के रूप में 10 वर्षों के अनुभव के साथ ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. के बीच से पदोन्नति द्वारा भरा गया और निर्धारित किया गया

पर्यवेक्षक के पद के लिए भर्ती नियमों के अनुसार शैक्षिक योग्यता, जिसमें विफल रहने पर रिक्तियां होंगी

सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा; और

((ख)

पर्यवेक्षकों के पदों में शेष 50 प्रतिशत रिक्तियां

सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।

यह अनुरोध किया जाता है कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पर्यवेक्षकों के पदों के लिए भर्ती नियमों में तत्काल आधार पर उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधन कर सकते हैं और इस तरह के भर्ती नियमों की एक प्रति, अधिसूचित होने के बाद,

मंत्रालय को भेजा जा सकता है। "

44. ऐसा प्रतीत होता है कि आंगनवाड़ी केंद्रों/कार्यकर्ताओं में तेजी से वृद्धि के कारण उनकी सेवाओं को स्वीकार करने पर, जिसे भारत सरकार द्वारा मान्यता दी गई है, मणिबेन गगनभाई भारत बनाम।

जिला विकास अधिकारी दाहोद [अजय रस्तोगी, जे.]

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों को मुख्यधारा में लाने और समय के साथ सरकारी कर्मचारी बनने के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।

45. इसके अलावा, गुजरात सरकार ने 25 नवंबर, 2019 के अपने संकल्प के अनुसार एक समग्र योजना भी लागू की है।

उस प्रक्रिया को निर्धारित करना जिसके अनुसार चयन एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा जिसका पालन पात्रता मानदंड निर्धारित करते हुए किया जाएगा।

(शैक्षणिक योग्यता सहित) जिसके अनुसार पदों के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की योग्यता सूची

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायक बनाए जाएँगे और यदि कोई प्रतिभागी/आवेदक चयन प्रक्रिया से असंतुष्ट या व्यथित है।

अधिकारी, उक्त उद्देश्य के लिए गठित समिति के समक्ष अपील कर सकते हैं।

46. इसके अलावा, जिन्हें अंततः आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों के रूप में चुना जाता है और नियुक्त किया जाता है, उन्हें आचार संहिता द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और यदि कर्तव्यों के निर्वहन में या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर कोई कदाचार किया जाता है तो उन्हें समाप्त भी किया जा सकता है। 47. इस प्रकार, गुजरात राज्य द्वारा 25 नवंबर, 2019 के अपने प्रस्ताव के तहत पारदर्शी प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों के रूप में काम करते समय विनियमित की जाने वाली सेवा शर्तों के साथ चयन का तरीका निर्धारित करना और वे सेवानिवृत्ति की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे। यह विभिन्न क्षेत्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों के प्रभावी कामकाज को नियंत्रित करता है।

आंगनवाड़ी केंद्र। 48. राज्य के विद्वान वकीलों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों को दिए जाने वाले मानदेय पर बहुत जोर दिया है। यह कहने के लिए पर्याप्त है

मानदेय मूल रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाने वाली/प्रदान की जाने वाली राशि है जो विशेष रूप से एक पेशेवर या सेवा प्रदान करने के लिए एक सम्मानित व्यक्ति है। यह एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है। हालाँकि, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों को 'मानदेय' शब्द को पेश करने में उत्तरदाताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले नामकरण के साथ जो भुगतान किया जा रहा है, वह वास्तव में महीने के अंत में प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान किया गया 'वेतन' है। यह परिलब्धि का वह रूप है जो अधिनियम 1972 की धारा 2 (ओं) के तहत परिभाषित रोजगार की शर्तों के अनुसार कर्तव्य के निर्वहन पर अर्जित किया जा रहा है।

49. जहाँ तक अमीरबी (उपरोक्त) के फैसले का संबंध है, जिस पर उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने भरोसा रखा है, यह एक मामला [2022] 5 एस. सी. आर. था।

जहां विचार के लिए सवाल उठाया गया था कि क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायक के रूप में नियुक्त किए गए लोग सिविल सेवा धारक हैं। पद और संविधान के अनुच्छेद 311 के संरक्षण की मांग करने के हकदार हैं। उस संदर्भ में, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वे सिविल पदों के धारक नहीं हैं और संविधान के अनुच्छेद 311 का संरक्षण उपलब्ध नहीं है और यही कारण है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों के कहने पर धारा 15 के तहत आवेदन दायर किया गया था।

प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 को बनाए रखने योग्य नहीं माना गया था।

50. तत्काल मामलों में, विचार के लिए उठाया गया प्रश्न इस हद तक सीमित है कि क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायक के रूप में काम करने वाले लोग अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत उपदान का दावा करने के पात्र हैं।

अदालत की कोई सहायता नहीं है और तत्काल अपीलों में हमारे सामने उठाए गए प्रश्न के संबंध में अभी तक उसका कोई आवेदन नहीं है। 52. आदेश से विदा लेने से पहले, मैं यह देखना चाहूंगा कि वह समय आ गया है जब केंद्र सरकार/राज्य सरकारों को

सामूहिक रूप से इस बात पर विचार करें कि क्या आंगनवाड़ी केंद्रों में काम की प्रकृति और तेजी से वृद्धि को देखते हुए और सेवाओं के वितरण और सामुदायिक भागीदारी में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों को महत्वपूर्ण सेवाओं के वितरण से लेकर विभिन्न क्षेत्रीय सेवाओं के प्रभावी अभिसरण, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों की मौजूदा कार्य स्थितियों के साथ-साथ नौकरी की सुरक्षा की कमी, जिसके परिणामस्वरूप प्रेरणा की कमी होती है, तक कई कार्यों को करने का आह्वान किया जाता है।

ऐसे वंचित समूहों को सेवाओं के वितरण के प्रति सीमित संवेदनशीलता वाले वंचित क्षेत्रों में सेवा करने के लिए, जो अभी भी आई. सी. डी. एस. द्वारा शुरू की गई योजना की रीढ़ है, अब समय आ गया है कि बेजुबानों को उनके द्वारा निर्वहन की गई नौकरी की प्रकृति के अनुरूप बेहतर सेवा स्थितियां प्रदान करने के तौर-तरीकों का पता लगाया जाए।

53. मेरे सुविचारित विचार में, अपीलें सफल होने के योग्य हैं और तदनुसार अनुमति दी जाती है और 8 अगस्त का विवादित निर्णय,

2017 गुजरात उच्च न्यायालय की खंड पीठ के कानून में अस्थिर होने को इसके द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है।

अपीलों की अनुमति दी गई।

बिभूति भूषण बोस (सहायकः शुभांशु दास, एलसीआरए)